



सत्यमेव जयते

**Annual Review on the Working
of
Forests and Wild Life Department
2020-21**



Government of Haryana

Government of Haryana

**Annual Review on the Working
of
Forest and Wild Life Department
2020-21**

**Office of the Principal Accountant General (A&E)
Haryana, Chandigarh**

Preface


Forests & Wild Life Department is an important constituent of State Administration. Its Drawing and Disbursing Officers play an important role in exercising necessary control over expenditure & realization of revenue. To enable the Drawing and Disbursing Officers and Controlling Officers to discharge their obligations properly, rules and regulations have been framed and manualised. Annual Review on the working of Forests and Wild Life Department is prepared every year after reviewing accounts of the divisions and offices of this department which maintain initial accounts.

The Annual Review for the year 2020-21 highlights omissions/irregularities noticed in maintenance and submission of the monthly accounts of Forests Divisions and Wild Life Department; delay in adjustment of Forest Advances; outstanding balances under Forest Remittances/Forest Cheques/EPS and audit observations raised by office of the Principal Accountant General (Audit), Haryana, Chandigarh.

I hope that the Review will be beneficial to the State Government and Forest and Wild Life Department. Rectification of the omissions and irregularities, highlighted in the Review will certainly improve the system of maintenance of accounts of this department.

Suggestions to enhance the usefulness of this Annual Review are welcome.

CHANDIGARH



Annual Review on the Working of Forest and Wild Life Department, Haryana for the year 2020-21

Introduction

The aim of Annual Review on the working of Forests and Wild Life Department are:

- To highlight preliminary accounts and financial irregularities noticed during audit;
- To make the Government and Departmental Officers aware of the same in order to avoid recurrence of such omissions and irregularities in future so as to improve financial administration and ensure preparation and submission of well designed accounts to this office well in time by the Forests and Wild Life Department.

The Forests and Wild Life Department consists of 40 divisions as on 31-03-2021. All Forest Divisional Officers submit the monthly accounts to this office. Chief Wild Life Conservator, Panchkula and his subordinate offices also draw funds directly from treasury and send their monthly account to this office. All Forest divisions with their circle code and division code are shown at Annexure-I.

The Annual Review consists of two parts viz. Part-1 and Part-2. Part-1 deals with omissions and irregularities noticed by the Principal Accountant General (A&E) while compiling the cash accounts. Part-2 contains summary of audit observations raised during audit by the Principal Accountant General (Audit) and Annexures.

TABLE OF CONTENTS

Sr. No.	Particulars	Paragraph	Page(s)
Part-1. Omissions and irregularities noticed by Pr. Accountant General (A&E)			
1.	Non-Response to previous Annual Review	1	1
2.	Computerization of Accounts	2	1
3.	Omissions/ Irregularities noticed during receipt and compilation of Accounts	3	2
4.	Delayed submission of cash accounts	3.1	2
5.	Outstanding differences under Forest Remittances into Treasury	3.2	2-3
6.	Adjustment of Amount outstanding under M.H. "8550-Forest Advances "	3.3	3
7.	Huge amount of Cheques expired or lying un-encashed	3.4	3-4
8.	Reconciliation of Accounts	3.5	4
9.	Compensatory Afforestation Fund Management and Planning Authority(CAMPA)	3.6	4
Part-2. Summary of Audit Objections raised by Principal Accountant General (Audit) and Annexures			
10.	Outstanding Audit Inspection Reports/Paras	4	5
11.	Annexure-I-list showing Forest Divisions that submit account to this office as on 31/03/2021	-	6-7
12.	Annexure-II- Statement showing delay in receipt of Cash Accounts from divisions	-	8-12
13.	Annexure-III Outstanding balances under Major Head 8782-103-99 Remittances as on 31/03/2021	-	13-15
14.	Annexure-IV-Outstanding balances under Head "8550-101-Forest Advances" as on 31/03/2021	-	16
15.	Annexure-V-Outstanding balances under Head "8782-103-98/93Cheques/EPS" as on 31/03/2021	-	17-18

16.	Annexure-VI-Statement showing outstanding Inspection Reports/Paras with money value in r/o “2406 Forestry for the year 2020-21”	-	19-65
-----	---	---	-------

Part 1

1. Non-response to previous Annual Review

Annual Review on the working of Forests and Wild Life Department is prepared every year. Last Review for the year 2019-20 was sent to the Principal Chief Conservator of Forests, Haryana and Chief Conservator of Forests (Wildlife), Haryana with requisite corrective measures suggested by Pr. Accountant General. Although omissions/irregularities in the account of Forests and Wild Life Department were specifically pointed out, the suggested corrective measures are yet to be implemented by the concerned Divisions of the Department. None of the 41 divisions of the Department responded to the previous annual review. The basic aim and objectives of the Annual Review remains unfulfilled, if nothing concrete is done to avoid recurrence of such omissions/irregularities as pointed out in the Review.

The Department needs to impress upon its subordinate offices in sending replies to Review and ensure corrective measures to improve quality of Accounts.

2. Computerization of Accounts

Data of Monthly Forests Accounts is required to be supplied by the concerned Divisions to this office in the electronic mode compatible with VLC Application for computerized compilation of Accounts. Required information i.e. coding structure of Divisions and format of required text files etc. have already been provided to department for doing the needful. An interface to load forest data has been developed in-house by VLC section of this office but only few divisions have supplied the account in CD or other device. This office has already issued the instructions that these accounts are required to be submitted online.

Computerization of Forests Accounts needs to get done expeditiously. It is to be ensured that all divisions submit the computerized account to this office online.

3. Omissions/Irregularities noticed during receipt and compilation of Accounts

3.1 Delayed submission of cash accounts

In accordance with Article 288 of Account Code Vol.-III, it is mandatory for all the divisions of the Department to submit account by 5th of the month following to which it relates to Pr. AG (A&E) office. In cases, where accounts are not dispatched on or before 10th of the following month, the reasons for such delay must be intimated invariably on that date as provided in Article 292 of Account Code Vol.III. But it was noticed that during the year 2020-21, various divisions (**Annexure-II**) did not submit their respective accounts on due dates. Delay in submission of Accounts ranged between 1 to 25 days. Delay in submission of accounts affects timely compilation and submission of Monthly Civil Accounts by Principal Accountant General (A&E) to the State Government. Even after the issuance of strict instructions to Principal Chief Conservator of Forests, Haryana, there was delay in submission of accounts.

Timely submission of monthly accounts by all divisions may invariably be ensured.

3.2 Outstanding differences under Forest Remittances into Treasury.

As per Articles 284 and 288 of Account Code Vol.III, every Divisional Officer prepares the Schedule (Form -15) of amount of Remittances into Treasury and sends it to Principal Accountant General along with monthly Cash Account. The said Schedule should be supported by reconciled Consolidated Treasury Receipt duly certified by Treasury Officer concerned. However, it was observed that the Divisional Officers did not send reconciled Consolidated Treasury Receipt to Principal Accountant General despite repeated requests resulting in accumulation of differences between the figures of Forests receipts booked by the Forests Divisional Officers and Treasury Officers. Non-Submission of reconciled Consolidated Treasury Receipt is fraught with possibility of embezzlement and misappropriation of funds.

It was also noticed that in some divisions, amount was recorded in FAC-15 under the head 8782-103, but deposited through challan in another head (i.e 0070, 7610,0406, 0071).

Details of progressive debits amounting to Rs.16,71,92,545 and progressive credits amounting to Rs.14,98,29,223 on account of Remittances into Treasury by the Divisional Officers which remained unadjusted up to March 2021 are shown in the **Annexure-III**.

Necessary instructions need to be issued to the Forest Divisional Officers to ensure that amounts are deposited in correct head under online system to avoid unnecessary accumulation of differences in the books of Pr. Accountant General. They must also submit the reconciled Consolidated Treasury Receipt, so that outstanding differences under Remittances are cleared.

3.3 Adjustment of Amount outstanding under M.H. “8550-Forest Advances”

According to Article 250 of Account Code Vol.-III, Divisional Officers granted advances for incurring expenditure towards payments to be made by their subordinate officers for the work executed by them, which are debited as Advances in the Cash Accounts of the concerned Forests Divisional Officer. After making such payment, these advances are adjusted against the appropriate head of account. However, advances amounting to Rs.24,90,380.14(debit) are pending for adjustments upto 31-03-2021. No action has been taken by the Divisional officers to adjust the outstanding amount against their division. This outstanding amount up to the end of the year 2020-21, is shown in **Annexure-IV**.

There is a need to issue strict instructions to the Divisional Officers to get these advances adjusted at the earliest or if this is not adjustable then this amount may be recovered immediately from the concerned officer/official.

3.4 Huge amounts of Cheques expired or lying un-cashed

Although Electronic Payment System (E.P.S.) has replaced the cheque system with effect from 1st April 2013, yet old cheques are still lying outstanding /un-cashed in the books of Pr. Accountant General. It was observed that adequate steps were not taken by the concerned Forests Officers to get these cheques cancelled. Details of amount of Rs.1,52,79,227 (Credit) and Rs.61,87,171 (Debit) are shown in **Annexure -V**. It is pertinent to mention here that some items of Debits / Credits of 8782- 103-93-Forest EPS are intermingled in Major Head 2406- Forests by some divisions leading to problems in identifying such items for further rectification through the mode of Transfer Entry. This would enhance the possibility of the budget of the 2406 (Forestry and Wild life) head to vary from the approved amount.

Strict instructions need to be issued to all the Divisional Officers to make the entry of cancelled cheques in Cash Accounts immediately of all expired cheques and to reconcile with Pr. Accountant General (A&E) Office to adjust the outstanding amounts. Guard against misclassification must also be ensured to prevent intermingling of 8782-103-93-Forest EPS and major Head 2406 items.

3.5 Reconciliation of Accounts.

Government of Haryana, vide instructions issued from time to time, directed all the Departments to reconcile their monthly accounts with Pr. Accountant General's Office. But it has been observed that some C.C.Os of the Department do not comply with these instructions. This results in mismatch in expenditure reported by the Department and that of booked by the Pr. Accountant General's Office.

The State Government may issue suitable directions to the C.C.Os of Department, emphasizing the need for reconciliation of their accounts every month with Pr. Accountant General Office to guard against misclassification, wrong payments, frauds and embezzlements.

3.6 Compensatory Afforestation Fund Management and Planning Authority (CAMPA).

In compliance to the instructions issued by the Ministry of Environment and Forests, Government of India, the State Governments are required to establish the State Compensatory Afforestation Fund Management and Planning Authority which will administer the amount received and utilize the money collected for undertaking compensatory afforestation, assisted natural regeneration, conservation and protection of forests, infrastructure development, wildlife conservation and protection and other related activities and for matters connected therewith or incidental thereto. The authority will set up the State Compensatory Afforestation Fund for this purpose.

During the year 2019-20, the State Government received Rs.1282.65 crore, being State share of the CAMPA Fund, from National Compensatory Afforestation Deposits to the Fund. The State Government did not credit any interest under 8121 during the year and since it is an interest bearing reserve fund, fund balances are required to be invested.

Part 2

4. Outstanding Audit Inspection Reports/ Paras

There are 155 Audit Inspection Reports containing 418 Audit Paras with cumulative money value of Rs.523.61 crore pending against the Department (**Annexure–VI**). The details of these have already been sent by office of the Pr. Accountant General (Audit) Haryana, Chandigarh. It is relevant to mention here that like the previous years, the pace of settlement of outstanding Inspection Reports/Paras was found very slow during the year 2020-21.

Necessary directions for early compliance to audit observations and settlement of the outstanding paras need to be issued to all Divisions.

Annexure-I

List showing Forest Divisions that submit account to this office as on

31/03/2021

Sr. No.	Circle code	Division Code	Name of Division
1.	01	001	Divisional Forest Officer , O/o Principal Chief Conservator of Forest, Haryana, Panchkula
2.	02	002	Conservator of Forest, North Circle, Ambala Panchkula
3.	02	003	Divisional Forest Officer, (T) Morni (Pinjore)
4.	02	004	Dy. Conservator of Forest, (T) Yamunanagar
5.	02	005	Dy. Conservator of Forest, (T) Ambala
6.	02	006	Divisional Forest Officer, (T) Kurukshetra
7.	02	007	Dy. Conservator of Forest, (T) Karnal
8.	02	008	Divisional Forest Officer, (T) Sonepat
9.	02	010	Dy. Conservator of Forest, (T) Kaithal
10.	03	011	Conservator of Forest, South Circle Gurugram
11.	03	012	Dy. Conservator of Forest, (T) Mohindergarh
12.	03	013	Dy. Conservator of Forest, (T) Faridabad
13.	03	014	Dy. Conservator of Forest, Rohtak
14.	03	015	Divisional Forest Officer, Gurugram
15.	04	016	Chief Conservator of Forest, West Circle Hissar
16.	04	017	Divisional Forest Officer, (T) Sirsa
17.	04	018	Divisional Forest Officer,(T) Jind
18.	04	019	Divisional Forest Officer, (T) Hissar
19.	04	020	Divisional Forest Officer, (T) Bhiwani
20.	04	021	Divisional Forest Officer, (T) Charkhi Dadri
21.	07	032	Conservator of Forest, Publicity & Education Panchkula
22.	07	033	Conservator of Forest, Central Circle, Rohtak
23.	07	035	Divisional Forest Officer, Panipat
24.	07	041	Divisional Forest Officer, (T) Rewari
25.	07	042	Divisional Forest Officer Monitoring & Evaluation, Karnal
26.	07	044	Divisional Forest Officer, Jhajjar

27.	07	046	Divisional Forest Officer, Fatehabad
28.	07	047	Divisional Forest Officer, Mewat (Nuh)
29.	011	053	Chief Wild Life Warden Panchkula
30.	012	054	Deputy Chief Wild Life Warden Panchkula
31.	013	055	Divisional Wild Life Officer, Rohtak
32.	017	064	Conservator of Forest, Monitoring & Evaluation Circle Karnal
33.	03	071	Dy. Conservator of Forest, Palwal
34.	03	072	Divisional Wild Life Officer, Gurugram
35	012	073	Divisional Wild Life Officer, Hisar
36.	06	074	Divisional Forest Officer, Training Division, Pinjore
37.	06	075	Divisional Forest Officer, Training Forest Division, Sohna
38.	06	076	Divisional Forest Officer, Research Division, Pinjore
39.	06	078	Divisional Forest Officer, Seed Collection Division Pinjore
40.	017	082	Divisional Forest Officer, M&E Division, Hisar

Annexure-II
(Referred to in Para 3.1)

Statement showing delay in receipt of cash account from divisions

SR. NO.	NAME OF DIVISION	MONTH	 DUE DATE	DATE OF RECEIPT	DELAY (NO. OF DAYS)
1.	D.F.O. ROHTAK	05/2020	05/06/2020	30/06/2020	25 DAYS
2.	C.F.(C.C) ROHTAK	05/2020	05/06/2020	30/06/2020	25 DAYS
3.	DY. CONSERVATOR (M&E) KARNAL	05/2020	05/06/2020	26/06/2020	21 DAYS
4.	D.F.O. FATEHABAD	04/2020	05/05/2020	22/05/2020	17 DAYS
5.	D.F.O. FATEHABAD	05/2020	05/06/2020	22/06/2020	17 DAYS
6.	D.F.O., FARIDABAD	05/2020	05/06/2020	22/06/2020	17 DAYS
7.	D.F.O. JIND	06/2020	06/07/2020	23/07/2020	17 DAYS
8.	D.F.O YAMUNANAGAR	06/2020	06/07/2020	22/07/2020	16 DAYS
9.	D.F.O. SIRSA	04/2020	05/05/2020	20/05/2020	15 DAYS
10.	D.F.O. BHIWANI	08/2020	07/09/2020	22/09/2020	15 DAYS
11.	D.F.O. FATEHABAD	06/2020	06/07/2020	21/07/2020	15 DAYS
12.	D.F.O. AMBALA	04/2020	05/05/2020	18/05/2020	13 DAYS
13.	D.F.O., MORNİ PINJORE	04/2020	05/05/2020	18/05/2020	13 DAYS
14.	D.F.O. ROHTAK	11/2020	07/12/2020	09/12/2020	12 DAYS
15.	CHIEF WILD LIFE WARDEN PANCHKULA	12/2020	05/01/2021	12/01/2021	12 DAYS
16.	D.W.L.O. ROHTAK	06/2020	06/07/2020	17/07/2020	11 DAYS
17.	P.C.C.F., HARYANA PANCHKULA	06/2020	06/07/2020	16/07/2020	10 DAYS
18.	D.F.O., MORNİ PINJORE	08/2020	07/09/2020	17/09/2020	10 DAYS
19.	D.W.L.O. PANCHKULA	09/2020	05/10/2020	15/10/2020	10 DAYS

20.	D.W.L.O. GURUGRAM	05/2020	05/06/2020	15/06/2020	10 DAYS
21.	D.F.O., FARIDABAD	07/2020	05/08/2020	14/08/2020	9 DAYS
22.	D.F.O. FATEHABAD	07/2020	05/08/2020	14/08/2020	9 DAYS
23.	D.F.O. MEWAT (NOH)	07/2020	05/08/2020	14/08/2020	9 DAYS
24.	D.F.O. PALWAL	07/2020	05/08/2020	14/08/2020	9 DAYS
25.	D.W.L.O. GURUGRAM	07/2020	05/08/2020	14/08/2020	9 DAYS
26.	P.C.C.F., HARYANA PANCHKULA	09/2020	05/10/2020	13/10/2020	8 DAYS
27.	D.F.O., MORNİ PINJORE	11/2020	07/12/2020	15/12/2020	8 DAYS
28.	D.F.O., MORNİ PINJORE	07/2020	05/08/2020	13/08/2020	8 DAYS
29.	D.F.O. AMBALA	06/2020	06/07/2020	14/07/2020	8 DAYS
30.	C.F. SOUTH CIRCLE GURUGRAM	09/2020	05/10/2020	13/10/2020	8 DAYS
31.	D.F.O., MOHINDERGARH (NAR)	06/2020	06/07/2020	14/07/2020	8 DAYS
32.	D.F.O., MOHINDERGARH (NAR)	07/2020	05/08/2020	13/08/2020	8 DAYS
33.	D.F.O., FARIDABAD	03/2021	12/04/2021	20/04/2021	8 DAYS
34.	D.F.O. ROHTAK	06/2020	06/07/2020	14/07/2020	8 DAYS
35.	D.F.O. GURUGRAM	06/2020	06/07/2020	14/07/2020	8 DAYS
36.	D.F.O. SIRSA	12/2020	05/01/2021	13/01/2021	8 DAYS
37.	D.F.O. PANIPAT	06/2020	06/07/2020	14/07/2020	8 DAYS
38.	D.F.O. REWARI	06/2020	06/07/2020	14/07/2020	8 DAYS
39.	D.F.O. JHAJJAR	06/2020	06/07/2020	14/07/2020	8 DAYS
40.	D.F.O. MEWAT (NOH)	06/2020	06/07/2020	14/07/2020	8 DAYS
41.	D.F.O KAITHAL	07/2020	05/08/2020	12/08/2020	7 DAYS
42.	D.F.O. JIND	12/2020	05/01/2021	12/01/2021	7 DAYS
43.	D.F.O. KURUKSHETRA	12/2020	05/01/2021	12/01/2021	7 DAYS

44.	D.F.O. BHIWANI	11/2020	07/12/2020	14/12/2020	7 DAYS
45.	D.F.O. FATEHABAD	12/2020	05/01/2021	12/01/2021	7 DAYS
46.	C.F.(M&E) KARNAL	09/2020	05/10/2020	12/10/2020	7 DAYS
47.	D.W.L.O. HISAR	12/2020	05/01/2021	11/01/2021	6 DAYS
48.	D.F.O YAMUNANAGAR	10/2020	05/11/2020	10/11/2020	5 DAYS
49.	D.F.O. KURUKSHETRA	01/2021	05/02/2021	10/02/2021	5 DAYS
50.	D.F.O KAITHAL	10/2020	05/11/2020	10/11/2020	5 DAYS
51.	D.F.O., FARIDABAD	01/2021	05/02/2021	10/02/2021	5 DAYS
52.	C.F. EDUCATION & PUBLICITY PANCHKULA	02/2021	05/03/2021	10/03/2021	5 DAYS
53.	D.F.O (T) PINJORE	01/2021	05/02/2021	10/02/2021	5 DAYS
54.	D.F.O.(T) SOHNA	01/2021	05/02/2021	10/02/2021	5 DAYS
55.	D.F.O., MORNİ PINJORE	10/2020	05/11/2020	09/11/2020	4 DAYS
56.	D.F.O. AMBALA	10/2020	05/11/2020	09/11/2020	4 DAYS
57.	D.F.O. SONIPAT	10/2020	05/11/2020	09/11/2020	4 DAYS
58.	D.F.O. SONIPAT	03/2021	12/04/2021	16/04/2021	4 DAYS
59.	C.F. SOUTH CIRCLE GURUGRAM	11/2020	07/12/2020	11/12/2020	4 DAYS
60.	D.F.O. BHIWANI	10/2020	05/11/2020	09/11/2020	4 DAYS
61.	C.F. EDUCATION & PUBLICITY PANCHKULA	01/2021	05/02/2021	09/02/2021	4 DAYS
62.	D.W.L.O. GURUGRAM	01/2021	05/02/2021	09/02/2021	4 DAYS
63.	D.W.L.O. HISAR	09/2020	05/10/2020	09/10/2020	4 DAYS
64.	D.W.L.O. HISAR	01/2021	05/02/2021	09/02/2021	4 DAYS
65.	P.C.C.F., HARYANA PANCHKULA	02/2021	05/03/2021	08/03/2021	3 DAYS
66.	C.F. NORTH CIRCLE PANCHKULA	02/2021	05/03/2021	08/03/2021	3 DAYS
67.	D.F.O., MORNİ PINJORE	02/2021	05/03/2021	08/03/2021	3 DAYS

68.	D.F.O YAMUNANAGAR	02/2021	05/03/2021	08/03/2021	3 DAYS
69.	D.F.O. SONIPAT	02/2021	05/03/2021	08/03/2021	3 DAYS
70.	D.W.L.O. PANCHKULA	01/2021	05/02/2021	08/02/2021	3 DAYS
71.	D.F.O. AMBALA	02/2021	05/03/2021	08/03/2021	3 DAYS
72.	D.F.O. KURUKSHETRA	09/2020	05/10/2020	08/10/2020	3 DAYS
73.	C.F. SOUTH CIRCLE GURUGRAM	02/2021	05/03/2021	08/03/2021	3 DAYS
74.	D.F.O. ROHTAK	02/2021	05/03/2021	08/03/2021	3 DAYS
75.	D.F.O. GURUGRAM	02/2021	05/03/2021	08/03/2021	3 DAYS
76.	D.F.O. SIRSA	08/2020	07/09/2020	10/09/2020	3 DAYS
77.	D.F.O. JIND	01/2021	05/02/2021	08/02/2021	3 DAYS
78.	D.F.O. JIND	02/2021	05/03/2021	08/03/2021	3 DAYS
79.	D.F.O. JIND	03/2021	12/04/2021	15/04/2021	3 DAYS
80.	D.F.O. PANIPAT	02/2021	05/03/2021	08/03/2021	3 DAYS
81.	D.F.O. FATEHABAD	02/2021	05/03/2021	08/03/2021	3 DAYS
82.	D.F.O. MEWAT (NOH)	02/2021	05/03/2021	08/03/2021	3 DAYS
83.	D.F.O. PALWAL	01/2021	05/02/2021	08/02/2021	3 DAYS
84.	CHIEF WILD LIFE WARDEN PANCHKULA	01/2021	05/02/2021	08/02/2021	3 DAYS
85.	D.W.L.O. HISAR	08/2020	07/09/2020	10/09/2020	3 DAYS
86.	D.F.O.(T) SOHNA	02/2021	05/03/2021	08/03/2021	3 DAYS
87.	D.F.O., MORNI PINJORE	09/2020	05/10/2020	07/10/2020	2 DAYS
88.	D.F.O. JIND	09/2020	05/10/2020	07/10/2020	2 DAYS
89.	D.F.O. JIND	11/2020	07/12/2020	09/12/2020	2 DAYS
90.	C.F.(C.C) ROHTAK	11/2020	07/12/2020	09/12/2020	2 DAYS
91.	D.F.O., MOHINDERGARH (NAR)	03/2021	12/04/2021	13/04/2021	1 DAY

92.	D.F.O. GURUGRAM	03/2021	12/04/2021	13/04/2021	1 DAY
93.	D.F.O. KURUKSHETRA	03/2021	12/04/2021	13/04/2021	1 DAY

Annexure -III

(Referred to in Para 3.2)

Outstanding balances under Major Head 8782-103- 99 Remittances as on 31/03/2021

Sr. No.	Name of Division	Debit (Rs.)	Credit (Rs.)
1.	Principal Chief Conservator of Forest, Haryana, Panchkula	41465565	-
2.	Conservator of Forest, North Circle Panchkula	-	59501
3.	Divisional Forest Officer, (T) Morni (Pinjore)	-	5466632
4.	Divisional Forest Officer, (T) Yamunanagar	-	7044947
5.	Divisional Forest Officer, (T) Ambala	13924872	-
6.	Divisional Forest Officer, (T) Kurukshetra	-	5009274
7.	Divisional Forest Officer, (T) Karnal	-	2297688
8.	Divisional Forest Officer, (T) Sonepat	-	8945688
9.	Divisional Forest Officer, (T) Kaithal	-	478892
10.	Conservator of Forest, South Circle Gurugram	-	12412
11.	Divisional Forest Officer, (T) Mohindergarh	1500016	-
12.	Divisional Forest Officer, (T) Faridabad	-	38397360
13.	Divisional Forest Officer, Rohtak	5208330	-
14.	Divisional Forest Officer, Gurugram	25022526	-
15.	Conservator of Forest, West Circle Hissar		321026
16.	Divisional Forest Officer, (T) Sirsa	3373665	-
17.	Divisional Forest Officer,(T) Jind	7133784	-
18.	Divisional Forest Officer, (T) Hissar	-	2309128
19.	Divisional Forest Officer, (T) Bhiwani	-	3875120
20.	Divisional Forest Officer, (T) Charkhi Dadri	-	807242
21.	Divisional Forest Officer,(P) Karnal	11909815	
22.	Divisional Forest Officer, (P) Kurukeshtra	4016112	-
23.	Divisional Forest Officer, (P) Yumuna Nagar	11580749	-
24.	Conservator of Forest,Training Circle Pinjore, Panchkula	-	23064

25.	Conservator of Forest, Research Circle Pinjore Panchkula	-	552361
26.	Conservator of Forest, Central Circle Rohtak	-	102111
27.	Divisional Forest Officer , Community Forestry Project, Panipat	-	6150285
28.	Divisional Forest Officer , Community Forestry Project, Faridabad	-	643240
29.	Divisional Forest Officer, (T) Panipat	-	1755770
30.	Divisional Forest Officer, Jhajjar	-	9430284
31.	Divisional Forest Officer, (M&E) Karnal	2084862	-
32.	Divisional Forest Officer, (T) Mewat Nuh	-	2671877
33.	Divisional Forest Officer, (T) Rewari	4365774	-
34.	Divisional Forest Officer, (T) Fatehabad	-	26136969
35.	Chief Wild Life Warden Panchkula	-	78570
36.	Divisional Wild Life Officer, Panchkula	122491	-
37.	Divisional Wild Life Officer, Rohtak	-	8251889
38.	Conservator of Forest, Community Forestry Project, Ambala	-	85487
39.	Divisional Forest Officer, Community Forestry Project, Kurukshetra	3379503	-
40.	Conservator of Forest, Community Forestry Project, Circle Hissar	-	23378
41.	Divisional Forest Officer, Community Forestry Project, Bhiwani	87277	-
42.	Divisional Forest Officer, Community Forestry Project, Jatusana, Rewari	-	196708
43.	Divisional Forest Officer, Community Forestry Project, Hissar	-	272352
44.	Conservator of Forest, (M&E) Circle Karnal	-	28914
45.	Divisional Forest Officer, (T) Palwal	31319297	-
46.	Divisional Wild Life Officer Gurugram	-	88693
47.	Divisional Wild Life Officer, Hissar	226262	-
48.	Divisional Forest Officer, Training Division Sohana	63604	
49.	Conservator of Forest, Working Plan Circle Gurugram.	-	4375569
50.	Divisional Forest Officer, Training Division	-	10694

	Pinjore		
51.	Divisional Forest Officer, Research Division Pinjore	375134	-
52.	Divisional Forest Officer, Seed Collection Division Pinjore	-	359139
53.	Divisional Forest Officer (Production) Hissar	-	3015061
54.	Divisional Forest Officer, (M&E) Hissar	-	96992
55.	Divisional Forest Officer, ECO Tourism Panchkula	2495	-
56.	Cyber Treasury	-	9964474
57.	Conservator of Forest Social Forestry Ambala	-	486674
58.	Divisional Forest Officer, Community Project, Ambala	30412	-
59.	Conservator of Forest (Production) Circle Karnal	-	3558
60.	Divisional Forest Officer, Eco. Tourism Gurugram	-	200
Total		167192545	149829223

Annexure-IV

(Referred to in Para 3.3)

Outstanding balances under Head “8550-101-Forest Advances” as on 31/03/2021

Sr.No.	Name Of Division	Debit (Rs.)	Credit (Rs.)
1.	Principal Chief Conservator of Forest, Haryana, Panchkula	93839.85	-
2.	Divisional Forest Officer, (T) Morni (Pinjore)	7565.98	-
3.	Divisional Forest Officer, (T) Sonepat	18473.06	-
4.	Divisional Forest Officer, (T) Kaithal	1019324	-
5.	Divisional Forest Officer, (T) Mohindergarh	144853.45	-
6.	Divisional Forest Officer, Gurugram	535217.30	-
7.	Divisional Forest Officer, Community Forestry Project, Kurukshetra	21780.00	-
8.	Divisional Forest Officer, (P) Yamuna Nagar	27571.89	-
9.	Conservator of Forest,Training Circle Pinjore, Panchkula	23140.00	-
10.	Conservator of Forest Social Forestry Ambala	6190.00	-
11.	Divisional Forest Officer, (T) Rewari	59468.61	-
12.	Dy. Chief Wild Life Warden., Panchkula	520206.00	-
13.	Conservator of Forest, (M&E) Circle Karnal	12750.00	-
		2490380.14	Nil

Annexure-V

(Referred to in Para 3.4)

Outstanding Balances under Head “8782-103-98/93 Cheques/EPS” as on 31/03/2021

Sr.No.	Name of Division	Credit (Rs.)	Debit (Rs.)
1.	Principal Chief Conservator of Forest, Haryana, Panchkula	-	631749
2.	Divisional Forest Officer, (T) Morni (Pinjore)	-	535456
3.	Divisional Forest Officer, (T) Yamunanagar	8329988	-
4.	Divisional Forest Officer, (T) Ambala	967711	-
5.	Divisional Forest Officer, (T) Kurukshetra	2819531	-
6.	Divisional Forest Officer, (T) Karnal	339277	-
7.	Divisional Forest Officer, (T) Sonepat	291476	-
8.	Divisional Forest Officer, (T) Kaithal	-	46810
9.	Conservator of Forest, South Circle Gurugram	123573	-
10.	Divisional Forest Officer, (T) Mohindergarh	775106	-
11.	Divisional Forest Officer, (T) Faridabad	722186	-
12.	Divisional Forest Officer, Rohtak	-	3869405
13.	Divisional Forest Officer,(P) Karnal	-	24504
14.	Conservator of Forest Social Forestry Ambala	-	136992
15.	Divisional Forest Officer, (T) Panipat	288595	-
16.	Divisional Forest Officer, (T) Fatehabad	239635	-

17.	Divisional Forest Officer, (T) Rewari	-	296468
18.	Dy. Wild Life Warden., Panchkula	-	4456
19.	Divisional Wild Life Officer, Rohtak	-	171068
20.	Divisional Forest Officer, Community Forestry Project, Hissar	-	5273
21.	Conservator of Forest, (M&E) Circle Karnal	-	71568
22.	Divisional Forest Officer, (T) Palwal	382149	-
23.	Divisional Forest Officer, Training Division Pinjore		128543
24.	Divisional Forest Officer, Research Division Pinjore		81134
25.	Conservator of Forest, Working Plan Circle Gurugram		183745
	Total	15279227	6187171

Annexure-VI

(Referred to in Para 4)

Statement showing outstanding Inspection Reports/Paras with money value in r/of

“2406 Forestry for the Year 2020-21”

Irregularities of common nature which have been noticed during Central Audit of Forest Division:-

Nil

Annexure-A

Important irregularities noticed during Local audit 2020-21

1. पौधारोपण पर किया गया अधिक व्यय
2. पौधारोपण की कम सफलता
3. पेंशन मामलों को देरी से महालेखाकार(ले.एव ह.) हरि. में प्रेषित करना
4. हरियाणा सेवा का अधिकार अधिनियम 2014 के अंतर्गत शिकायतों का देरी से निपटान
5. कंडम सामान की नीलामी न करना
6. राशि को अनियमित रूप से बचत खातों में रखने से ब्याज की हानि

Annexure-B

Annual Forest Review on the working of the Forest Department for the year 2020-21

	IR's	Para's	Amount (in lakhs)
Opening Balance	165	453+7 Tan	54181.78
Addition	3	26+1 Tan	3240.23
Clearance	13	61-3 Tan	5061.04
Balance	155	418+5 Tan	52360.97

Circle Wise Outstanding Paras List of Forest Department

1. North Central Circle of Forest Outstanding Paras

Sr. No	Name of the Division	No.of IRs	No. of Paras	Year	Para No	Title of the Para Part-IIA/Part-IIIBs	Amount (In lakh)
1	वन संरक्षक(उत्तरी परिमंडल) हरियाणा, पंचकुला	1	1	2014-15	1	आई डी डब्ल्यू आर (IGMR) योजना के धन का उपयोग न करना रु 1.64 करोड़	164.00
2	वन मंडल अधिकारी (क्षेत्रीय) यमुनानगर	3	11	2014-15 04.12.18 से 14.12.18	5	वैक वेजिस भुगतान की वसूली दोषी अधिकारीयों/कर्मचारियों से न करना रु 12.00 लाख	12.00
					1	पौधारोपण की कम सफलता के कारण निष्फल व्यय - राशि 19.23 लाख रुपये	19.23
					3ख	सात परियोजनाओं का अधूरा रहना- राशि 414.50 लाख रुपये	414.50
					7क	वन भूमि पर अतिक्रमण	
					7ख	अवैध माइनिंग/गतिविधियों के कारण वन संपत्ति को नुकसान राशि 24.08 लाक रुपये	24.08
				पार्ट-4 2019-20 06.1.20 14.1.20	1	सरकारी सम्पत्ति की बिक्री से संबंधित राजस्व की वसूली ना करना राशि 5.00 लाख	5.00
					1	ऋण के बकाया की वसूली न करना रु 12.80 लाख	12.80
					2(क)	वन भूमि को गैर वन भूमि हेतू प्रयोग करने पर कम्पनसेशन प्राप्त न करना रु 3.98 लाख	3.98
					2(ख)	ठेकेदारों एंव कर्मचारियों से बकाया वसूली रु 4.28 लाख	4.28
					3	त्रिफला स्कीम में पौधारोपण के पश्चात रखरखाव पर किये गये खर्च की देयता सृजित होना रु 8.48 लाख।	8.48
					4	परिवर्तित वन भूमि के लंबित मामले	58.62
					5	रेजों के अंतर्गत पड़े लॉग्स एंव	

						पेड़ों (कुल 140.98 क्यूम) का निपटान न करना।	
				6	रोकडबही एवं विविध अनियमितताये 1. योगो की जाँच न करना। 2. रोकडबही में कटिंग/ओवर राइटिंग को सत्यापित न करना 3. खजाना तालिका (ई.पी.एस.) तथा कोषालय से आहरण का रोकडबही से मिलान न करना। 4. रोकड बहियो को नियमानुसार न बनाना 5. सोसाइटीज से ल.सी.ए की वसूली न करना राशि रु 0.18 लाख 6. नकारा वाहन का निपटान न करना।	0.18	
3	वन मंडल अधिकारी (क्षेत्रीय) कैथल		2015-17	6	रोकड बही की अनियमितताए 1. कैम्पा रोकड बही का रिकन्सिलेशन न करना 2. योगो की जाँच न करना 3. खजाना तालिका (ई.पी.एस.) तथा कोषालय से आहरण का रोकड बही से मिलान न करना। 4. रोकड बही के निर्धारित कॉलमो को सही न भरना 5. बाउचरो पर पैड एवं कैंसिल की मोहर न लगाना	0.0	
4.	वन मंडल अधिकारी (क्षेत्रीय) मोरनी पिंजौर	8	37	Tan-1	विभागीय कर्मचारियों/ठेकेदारो के विरुद्ध बकाया राशि की वसूली ना करना 51.26 लाख	51.26	
			2006-07	2	14396/- रु का अनियमित भुगतान एवं की देयताएं व रु 26,41,816/-	26.42	
			2012-13	1	इन्क्रोचमेंट की गई भूमि के बदले प्रतिपूर्ति पोधारोपन राशी व गैर वानिकी न करना 190.96 लाख	190.96	
				3	Diversion of FCA land without permission 0.0233 ha. बी.सी (2,3)	0.0	

				4	सुरक्षित वन भूमि डाईवरशन के बदले प्रस्तावित वन भूमि का शहरी विकास प्राधिकरण द्वारा कब्ज़ा न दिलाना भूमि 5.35 है	0.0
	2014-15	3	Non recovery of sales tax Rs. 21.65 lakh		21.65	
		5	उपभोगता एजेंसी से कम्पेन्शन प्राप्त न करना 18.04 लाख		18.04	
	2015-16	2	निम्न स्तरीय कार्य का निष्पादन करना राशी 96.38 लाख रुपये		96.38	
		3	कैम्पा स्कीम के अंतर्गत भौतिक लक्ष्यों का कम प्राप्त करना			
		7	नकारा/अनुपयोगी वाहनों की नीलामी न करवाना राशी 8.61 लाख रुपये		8.16	
	2016-17	1	वाटर हारवेस्टिंग सिस्टम पर/डैम पर निष्फल 75.00 लाख Para transfer to section B vide DAG order No. ES-II/WRS/Forest/AP-28/2019-20/190 dated 05.08.2019		75.00	
		2	बचत खाते में राशी रखने से ब्याज की हानी 1.45 लाख रु।		1.45	
		3	हरियाणा निवास की मीटिंग हेतु विलेज फारेस्ट कमेटी से भुगतान करवाना राशी रु 0.62 लाख।		0.62	
	2018-19 01/8/18 10/8/18	1	कंपनी (हिमालयन एक्सप्रेस वे लिमिटेड) द्वारा वन विभाग की भूमि पर अवैध कब्जा राशि- 506.96 लाख		506.96	
		2(ख)	परिवर्तित वन भूमि के लंबित मामले 1,2,4,5,6,7		0.0	

				5(ख)	अदालती एंव फोरेस्ट एक्ट की अवहेलना के लंबित मामलों का निपटारा न करना	0.0
				6(क)	<p>रोकड़ बही एंव अन्य अनियमिततायें</p> <p>3. कर्मचारियों से रिकवरी शेष राशि 20.39 लाख</p> <p>4. कैम्पा स्कीम, स्टेट स्कीम एंव शिवालिक विकास एजेसी की बैंक रिकनसिलेशन स्टेटमैन्ट तैयार न करना</p> <p>6. बिना उपर्युक्त साक्ष्य के सेवा प्रदाता को अनियमित भुगतान</p> <p>7. रेजों द्वारा रिकार्ड का नियमानुसार सही न बनाना</p> <p>8. रोकड़बहियों को नियमानुसार न बनाना</p> <p>9. मंडल द्वारा वी.एफ.सी.यों को प्रदान की गई राशियों की वी. एफ. सी. द्वारा नगद भुगतान करना</p> <p>10. बैंक वेजिज भुगतान राशि - 9.00 लाख रूपये</p> <p>12 रोकड़बही में कटिंग/ओवर राईटिंग को सत्यापित न करवाना</p>	20.39
				6(ख)	खरीदे गये पौधों का रिकार्ड प्रस्तुत न करना राशि - रूपये 15.26 लाख	9.00 0.0
	2019-20	1			अधूरे कार्य पर निष्फल व्यय रु. 79.56 लाख।	79.56
		2			कम्पनसेटरी अफोरेस्टेशन न करवाना राशि— रूपये 1476.88 लाख एवं यूजर एजेसियो से राशि प्राप्त न करना— 41.56 लाख।	1476.88 +41.56
		3क)			पौधारोपण की कम सफलता प्राप्त होने के पश्चात मण्डल कार्यालय	0.0

					द्वारासम्बंधित के विरुद्ध कार्यवाही न करना।	
			3)	पौधारोपण में ओवर लैपिंग के कारण नुकसान।	0.0	
		4		सरकारी धन का अवरोधन ₹ 90.00 लाख।	90.00	
		6)		डैमे रिपोर्ट से सम्बन्धित बकाया राशि की वसूली न करना - राशि ₹ 7.66 लाख।	7.66	
		6)		अस्थाई जगहों पर पड़े लॉग्ज का निपटान न करना - वाल्यूम 71. 147 धन मी०	0.0	
		7		रोकड़ बही एवं अन्य अनियमिततायेः 1)कैम्पा स्कीम, स्टेट स्कीम एवं शिवालिक विकास एजेन्सी की बैंक रिकन्सिलेशन स्टेटमैन्ट तैयार न करना। 3)रोकड़ बही में कटिंग/ ओवर राइटिंग को सत्यापित न करवाना। 4)खजाना तालिका (ई०पी०एस०) तथा कोषालय से आहरण का रोकड़ बही से मिलान न करना।	0.0	
	Part-IV 1			सरकारी सम्पत्ति की बिक्री से सम्बन्धित राजस्व की वसूली नकरना राशि— रूपये 5.76 लाख।	5.76	
	2020-21	1		ग्राम कजियाना में आर.सी.सी. वाटर हार्बस्टिंग स्ट्रक्चर से पानी के रिसाव के कारण बांध के निर्माण पर कियेगये ₹. 88.16 लाख के व्यय का निष्फल होना।	88.16	
		2.		वन संरक्षण अधिनियम 1980 के तहत यूजर एजेंसी से क्षतिपूरक वनीकरण शुल्क और अन्य शुल्कों की कम मांग ₹. 12.84 करोड़	1284.0	

			3	अनियमित खरीद तथा भुगतान रु. 48.18 लाख	48.18
			4	कान्ट्रैक्ट के नियम और शर्तों के अनुसार सिकोरटी डिपोजिट नहीं काटे जाना रु. 788702/-	7.89
			5	अधिकारियों व कर्मचारियों से बकाया वसूली राशि रु. 4.94 लाख	4.94
			6	सेवानिवित कर्मचारी को अनिधिकृत तरीके से पुनरोजगार पर लगाना	0.0
			7	पौधारोपण की कम सफलता प्राप्त होने के पश्चात मण्डल कार्यालय द्वारा संबंधित के विरुद्ध कार्यवाही न करना।	0.0
			8	एक कांट्रैक्टर को दो ब्लाक से अधिक ब्लाकों में कार्य आबंटित करना।	0.0
			9A	ठेकेदार को अनुचित लाभ	0.0
			9B	आयकर अधिनियम के सेक्शन 194 सी के तहत टी.डी.सी. की कटौती न करना।	0.0
			9c	सरकार की आउटसोर्सिंग निति के तहत लगे कर्मचारियों का हरियाणा श्रम कल्याण निधि अधिनियम 1965 के तहत	0.0

						अंशदान का जमा न करना।	
				10		अस्थाई जगहों पर पड़े लागज का निपटान न करना वाल्यूम 71.47 घन मीटर	0.0
				11		नियोक्ता के ई.एस.आई. अंशदान का भुगतान 3.25 प्रतिशत के बजाय 4.75 प्रतिशत की दर से करना।	0.0
				12		मैडिकल बिल की अधूरी जाँच किये जाना।	0.0
			Tan-1			बैंक द्वारा अर्जित ब्याज का रोकड़ बही में इन्द्राज न करना।	0.0
			राजस्व 1			ठेकेदारों से बकाया वसूली राशि रु. 5.23 लाख	5.23
			2			डैमेज रिपोर्ट से संबंधित बकाया राशि की वसूली न करना राशि रु. 3.48 लाख तथा अदालती व अन्य केसों का निपटारा न करना।	3.48
	वन मंडल अधिकारी (क्षेत्रीय) कुरुक्षेत्र	5	14	2012-13	1	भारत सरकार पर्यावरण एवं वन मंत्रालय की पूर्वानुमति लिए बिना मेस्सेसें इंडियन आयल कारपोरेशन लिमिटेड द्वारा वन भूमि का डायवर्सन करना भूमि 0.0357 है वसूलनीय राशी	7.39
				2013-14	7	Loss due to shortage of material	0.0

		2014-15	3	ऋण की अवसुली रु 8.17 लाख	8.17
			8	कर्मचारियों से बकाया अवसुली रु 0.49 लाख	0.49
		2015-16	1	जाँच एवं मूल्यांकन के आभाव में वितरित पौधों पर किया गया अलाभप्रद व्यय राशी 18.00 लाख रूपये	18.00
			5	बैंक वजिस के भुगतान को स्वीकृति के शर्ते अनुसार कार्यवाही न करना राशी 14.24 लाख रु	14.24
			6	कर्मचारियों से बकाया वसूली रु 17.52 लाख	17.52
			7	रोकड़ बही की अनियमिताएं 2 क्षति रिपोर्टों के विरुद्ध सरकारी धन का रेलिज़शन न करना राशी 1.67 लाख रु 3 नर्सरी रजिस्टरों को अपडेट न करना 4 खरीदे गये पौधों को स्टॉक में न लेना राशी 0.58 5 नर्सरी रजिस्टर में कम गये सामान की अधिकारीयों/कर्मचारियों से वसूली न करना राशी 0.21 लाख	12.35 1.67 0.58 0.21
		12/2016 से 06/2018 23.7.2018 से 27.7.2018	2	बिना उपर्युक्त साक्ष्य के सेवा प्रदाता को अनियमित भुगतान राशि 17.00 लाख रूपये	17.00
			3	वर्ष 2016-17 में स्कीम “Beautification in Urban Areas” की समीक्षा 1. बिना प्रावधान के खरीद 6. बिना पौधारोपण के भुगतान राशि रूपये 0.32 लाख	0.15 0.21 0.32
			4(क)	डैमेज रिपोर्ट से संबंधित राशि को सरकारी खजाने में जमा न करवाना रूपये 0.23 लाख रूपये।	0.23
			4(ख)	अदालती एवं फोरेस्ट एक्ट की अवहेलना के लंबित मामलों का निपटारा न करना	0.0
			4(ग)	रेजों के अंतर्गत पड़े 11 लॉग्स एवं 227 पेड़ों (कुल 104.25 क्युम) का निपटान न करना	0.0

				5(ग)	वुडबेसड स्कीम में जारी फण्ड का उपयोग न करना राशि रूपये 15.50 लाख।	15.50	
				6(ख)	अग्रिम किये गये भुगतान से सङ्क की मुरम्मत भुगतान न करवाना राशि रूपये 2.68 लाख।	2.68	
				7(क)	<p>रोकड़ बही एंव अन्य अनियमिततायें</p> <p>2. एफ.डी.ए. स्कीम के तहत खाते का खोला पाया जाना।</p> <p>3. कम्पनसेटरी अफारस्टेशन से संबंधित रिकार्ड का न बनाना</p> <p>4. रेंजों से संबंधित नर्सरीज का रिकार्ड अपडेट न करना</p> <p>5. सामग्री फार्म-7 का मैटेन न करना</p> <p>6. सेवा पुस्तिकाओं का संबंधित कर्मचारी/अधिकारी को न दिखाया जाना।</p> <p>7. रोकड़ बही में कटिंग/ओवर राईटिंग को सत्यापित न करवाना।</p> <p>8. खजाना तालिका (ई.पी.एस.) तथा कोषालय से आहरण का रोकड़ बही से मिलान न करना</p> <p>9. सी.टी.आर. का न बनाना एंव मिलान करना</p>	0.0	
				7(ख)	अनुपयोगी वाहनों को निलाम न करवाने से सरकार को राजस्व की हानि राशि रूपय 2.94 लाख	2.94	
	वन मंडल अधिकारी (क्षेत्रीय) अम्बाला शहर	8	31	2012-13	1	पौधों की अनियमित खरीद व खरीदे गए पौधों का स्टॉक रजिस्टर में इन्ड्रज न करना 18.43 लाख	18.43
				2013-14	3	पौधारोपण की कम सफलता के कारण सरकार को नुकसान	40.47
				Part-IV	1	वन भूमि पर पेट्रोल पम्पों से वसूलनिये राशि 0.27 लाख	0.27
				2014-15	3	पौधारोपण की कम सफलता के कारण वसूलने योग्य राशी 11.11 लाख	11.11
				Part-IV	2	हरे/ सूखे गिरे पेड़ों की खरीद राशि पर बिक्री कर तथा टी.डी.एस. की वसूली राशि 13.20 लाख	13.20
				2015-17	1	आयकर की कम कटोती करना	14.09

						रु.14.09 लाख	
				02/17 से 01/18	1(ख)	पौधारोपण की कम सफलता के कारण विभाग को हानी राशी 12.51 लाख	12.51
					3	ऋण के बकाया राशी की वसूली न करना 14.13 लाख रु	14.13
					4	कर्मचारियों/ठेकेदारों से बकाया वसूली राशी 12.81 लाख रु	12.81
					5	अफोरेस्टेशन कंसर्वेशन एक्ट 1980 के अंतर्गत क्षेत्र को नॉन-फारेस्ट प्रयोग करने के लिए परिवर्तित करने पर क्षेत्र (19.58 है) का अफोरेस्टेशन न करवाना राशी रु 653.87 लाख	653.87
					6 क	क्षति रिपोर्ट की राशी की वसूली न करना राशी 2.44 लाख रु	2.44
					6 ख	वृक्षों की कम कटवाई करवाया जाना -6441.15 वोल	
					6 ग	फण्ड का प्रयोग न करना 455.74 लाख रुपये	455.74
		2018-19		1क		गलत साईट के चयन के कारण उज्जल माजरी गाँव में वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम पर निष्फल व्यय राशि 9.55 लाख	9.55
					1ख	खेरागनी में काज-वे के निर्माण पर निर्धक व्यय- राशि 36.98 लाख रुपये	36.98
					2	कैम्पा स्कीम के तहत करवाए गये एस.एम.सी कार्यों पर अनियमित खर्च- राशि 6.19 करोड़ रुपये	619.00
					4	वन भूमि पर अतिक्रमण	
				6क		पौधारोपण की कम सफलता के कारण निष्फल व्यय- राशि 0.68 लाख रुपये व एक ही साईट पर दो से तीन बार पौधारोपण करने के कारण संदेहास्पद व्यय	0.68
					6ख	त्रिफला स्कीम में पौधारोपण के लक्ष्यों की प्राप्ति न होना व पौधों की अधिक खरीद के कारण निर्धक व्यय- राशि 2.19 लाख रुपये	2.19
					6ग	पौधारोपण के रख रखाव न करने के कारण निष्फल व्यय- राशि 13.87	13.87

					लाख रूपये	
			9		क्लोन सफेदा की खरीद में अधिक व्यय- राशि 3.99 लाख रूपये	3.99
			10क		कर्मचारियों के भुगतान ई.पी.एफ/ई.एस.आई की कटौती-राशि 79.59 लाख रूपये	79.59
			10ख		स्टॉक एंव स्टोर/भण्डार का भौतिक सत्यापन न करना	0.0
			10ग		रोकड़बही की अनियमितताएं 1 रोकड़बही में दिनांक की प्रविष्टि न करना 2 रोकड़बही में कटिंग/ओवर राइटिंग को सत्यापित न करवाना 3 खजाना तालिका तथा कोषालय से आहरण का रोकड़बही से मिलान न करना 4 अनुपयोगी वाहन को निलाम न करवाना 5 अधिकारियों/कर्मचारियों से बकाया रिकवरी राशि- रूपये 1.54 लाख 6 कैम्पा स्कीम, स्टेट स्कीम एंव शिवालिक विकास एजेंसी की बैंक रिकनसिलेशन स्टेटमैन्ट तैयार न करना 7 रोकड़बहियों को नियमानुसार न बनाना	1.54
		2/19 12/20 27/1/20 07/2/20	1		ई-निविदा प्रणाली के माध्यम से निविदा हेतु कम समय प्रदान करना 3 दिन।	
			2		सरकारी धनराशि का दुरुपयोग राशि 13.50 लाख रूपये	13.50
			3		कार्य अनुबंध के भुगतान में अपंजीकृत ठेकेदार को वस्तु एंवम सेवा कर का अदेय भुगतान धनराशि 0.20 लाख रूपए।	0.20
			4		पौधारोपण की कम सफलता के कारण निष्फल व्यय राशि 3.31 लाख	3.31
			5		आयकर अधिनियम 1961 की धारा 194C के अंतर्गत आयकर की श्रौत पर कटौती (TDS) ना करना धनराशि 0.54 लाख रूपये	0.54
			6		भूमि अधिग्रहण की वृद्धि राशि के भुगतान में देरी से ब्याज के अधिक	4.14

					भुगतान से खजाने को हानि धनराशि 4.14 लाख रूपये।	
		2020-21	1	पौधारोपण कार्यों पर किया गया अधिक व्यय राशि।	0.22	
			2	परफॉर्मेस गरंटी की कटौती नहीं किया जाना।	0.73	
			3	सौ.जी.एस.टी नियमों के नियम 138 का अनुपालन नहीं करना।		
			4	आउटसोर्सिंग एजेंसी को अनुचित लाभ प्रदान करना।		
			5	पौधारोपण की कम सफलता के कारण निष्फल व्यय राशि।	5.00 3.31	
			6	कंडम समान की नीलामी न करवाना।		
		राजस्व	1	कटे हुए वृक्षों की रोयलटी की पूर्ण प्राप्ति न करना।	65.46	
			2	डेमेज रिपोर्ट से सम्बन्धित बकाया राशि की वसूली न करना तथा अदालती व अन्य केसों का निपटारा न करना।	64.70	
	Total	26	95			

WestCircle of Forest Outstanding Para

1	वन मंडल अधिकारी (क्षेत्रीय) सिरसा	2	7	2014-15	9	नकारा वाहन की नीलामी न करवाना रु 3.92 लाख	3.92
				2015-17	1	स्वत सहायता समूहों से ऋण की बकाया वसूली रूपए 25.22 लाख	25.22
					2	कर्मचारियों से बकाया वसूली रूपए 55.86	55.86
					5	भारत सरकार पर्यावरण एवं वन मंत्रालय की स्वीकृति के बिना प्रतिपूर्ति पौधा रोपण साईट्स में बदलाव भूमि 62.9704 हैक्टेयर	
					6	अस्थाई जगहों पर पड़े लकड़ियों का निपटान ना करना 3719.6 घनमीटर	
					7	स्वीकृत पदों से अधिक कर्मचारी की नियुक्ति के कारण वेतन एवं भत्तों पर अतिरिक्त व्यय रूपए 6.09 लाख	6.09
				Part-IV	1	फोरेस्ट एक्ट की अवहेलना के लम्बित मामलों का निपटारा न होना रु. 13.97 लाख	13.97
2	वन मंडल अधिकारी (क्षेत्रीय) हिसार	4	9	2007-08	8	लकड़ी की कमी पाए जाने पर कार्यवाही न करने से हानि रु 1.75 लाख	1.75
				2014-15	4	पेड़ों की क्षति रिपोर्ट के अनुसार संबंधित से रिकवरी न करना रु 1.72 लाख	1.72
					6क	विभागीय जांचों के अधूरा रहने से दोषी अधिकारियों/ कर्मचारियों के विरुद्ध कार्यवाही न होना	
				2015-16	2	भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय की स्वीकृति के बिना प्रतिपूर्ति पौधारोपण साईट्स में बदलाव—भूमि 26.6147 हैक्टेयर – राशि 303.67 लाख रुपये	303.67
				04/2016 से 07/2018 27/08/18 से 31/08/18	1	फोरेस्ट कन्जरवेशन एक्ट 1980 के अन्तर्गत परिवर्तित वन भूमि के लम्बित मामले राशि –594.37 लाख।	594.37
					2(ख)	अदालती एवं फोरेस्ट एक्ट की अवहेलना के लम्बित मामलो का निपटारा न करना -105 एवं शेष मामलो से सम्बन्धित क्षति पूर्ति राशि का ऑडिट को रिकॉर्ड प्रस्तुत न करना।	

					5	9553 पेड़ो(29 97.15 वाल्यम /क्यूम) का निपटान न करने के कारण सरकारी राजस्व की हानि ।	
					6(क)	<p>रोकड़ बही एवं अन्य अनियमिततायें</p> <p>1.एफ0डी0एं0 स्कीम से सम्बंधित बैंक खाते का अनियमित खोला जाना/बैंक खाते को बंद न करवाना राशि—4,411/- रुपये ।</p> <p>2.10 अधिकारियों/कर्मचारियों की स्वीकृत पदों से अधिक तैनाती ।</p> <p>3.भण्डार की बेकार मदों एवं अनुपयोगी वाहन को निलाम न करवाना राशि—2.15 लाख ।</p> <p>4.रेजों द्वारा रिकार्ड का नियमानुसार सही न बनाना ।</p> <p>5. रेजों द्वारा बकाया डैमेज रिपोर्ट का रिकार्ड प्रस्तुत न करना</p> <p>6.रोकड़ बही में कटिंग/ओवर राइटिंग को सत्यापित न करवाना/योगो की जाँच न करवाना</p>	
					6(ख)	अधिकारियों/कर्मचारियों से बकाया राशि की वसूली-रुपये 149.90	149.90
					Part iv राजस्व	1 सरकारी सम्पत्ति की बिक्री से सम्बंधित राजस्व की वसूली न करना राशि 5.41 लाख	5.41
3	वन मंडल अधिकारी (क्षेत्रीय) जींद	4	13	10-12	2क	पौधारोपण असफलता से सरकार को वित्तीय हानि	24.43
				2013-14	1	बैंक वेजिज की अदायगी संबंधित दोषी अधिकारियों / कर्मचारियों से वसूली न करना	5.51
					7	अनुपयोगी स्टोर के सामान की नीलामी न करना	20.42
					9	वन विभाग की भूमि पर अवैध कब्जा	
				2015-16	2	निजी भूमि पर अर्थ वर्क करवाने के कारण सरकार को हानि राशि 5.23 लाख रुपये ।	5.23
					4b	इन्टरी प्लाइंट एकिटिविटी (ई.पी.ए.) की राशि का उपयोग न करना—3.28 लाख रुपये	3.28
					6	भारत सरकार, पर्यावरण एवंम् वन मंत्रालय की स्वीकृति के बिना प्रतिपूर्ति पौधारोपण साइट्स में बदलाव—भूमि 147.00 आर0कें0एम0 ।	
					8	रोकड़ बही की अनियमिततायें खाजाना तालिका (ई0पी0एस0) तथा कोषालय से आहरण का रोकड़ बही से मिलान न करना।	
				04/2016	1-	कम्पनसेटरी अफोरस्टेशन न करवाना	3830.4

				से		राशि—रूपये 3830.47 लाख।	7
				06/2018 16.7.201 8 से 20/7/201 8	2-	अदालती एवं फॉरेस्ट ऐक्ट की अवेहलना के लंबित मामलों का निपटारा न करना	
					3(क)-	पेड़ों की कम कटाई करवाया जाना—341.46लायूम (1660 पेड़)।	341.46
					3(ख)	विभिन्न रेंजों के अंतर्गत पड़े 50 लॉग्स एवं 8564 पेड़ों (कुल 2002.008 क्युम) का निपटान न करना।	
					4(ख)	कैम्पा स्कीम में जारी फण्ड का उपयोग न करना राशि—रूपये 10.52 लाख।	10.52
					5(क)-	ठेकेदारों/कर्मचारियों से बकाया वसूली न करना।	16.82
					5(ख)-	अनुपयोगी वाहन को निलाम न करने से सरकार को राजस्व की हानि राशि—रूपये 5.79 लाख।	5.79
					5(ग)-	रोकड़ बही एवं अन्य अनियमिततायें: 2 ग्रीन इंडिया मिशन के तहत खोले गये बचत खाते में सम्बंधित विभाग को ब्याज राशि का वापिस न करना—रूपये 0.62 लाख। 4 कम्पनसेटरी अफोरस्टेशन से सम्बंधित रिकार्ड का न बनाना। 5 हर्बल पार्क जींद (जींद रेंज) से सम्बंधित प्राप्तियों को बैंक खातें में जमा करना। 9 खजाना तालिका (ई०पी०एस०) तथा कोषालय से आहरण का रोकड़ बही से मिलान न करना।	0.62
4	वन मंडल अधिकारी (क्षेत्रीय) फतेहाबाद	4	6	2010-11	1	वन भूमि के गैर वन भूमि उद्देश्य हेतु प्रयोग के लिए परिवर्तन करने पर प्रतिपूर्ति राशि का प्राप्त न करना	62.71
				2013-14	2	बिना कार्य के भुगतान के कारण सरकार को हानि	14.02
					5	Non recovery of laon Rs. 1.10 lakh	1.10
				2014-15	2	पौधारोपण स्कीम निम्न जीववता तर के कारण सरकार को नुकसान राशि रु 3.84 लाख	3.84
				2015-17	2	कर्मचारियों से बकाया वसूली रु 8.89 लाख	8.89
					5 (क)	नाकारा अनुपयोगी वाहन की नीलामी न करना	
5	वन मंडल अधिकारी (क्षेत्रीय) भिवानी (के साथ मर्ज हो गया है) वन मंडल अधिकारी (सामुदायिक वानिकी परियोजना) भिवानी	6	11	2015-17	2	न्यूनतम सफलता दर के कारण पौधारोपण पर निष्फल व्यय राशि 25.85 लाख	25.85
				2001-02 AP	1	दैनिक वेतन भोगी मजदूरों को मस्टर रोजल के आधार पर अनुचित ढग से नियुक्त करके 8.54 लाख रु का	8.54

						अनुचित भुगतान	
			2002-03 AP	1	दैनिक वेतन भोगियों को मस्टर रोजल पर वित्तिय प्रावधानों के विरुद्ध अनियमित नियुक्ति वं अदायगी 18.67 लाख रु	18.67	
			2015-16	2	खरीदे गये फलदार पौधों को अकांडट फार न करना राशि 24.20 लाख रु	24.20	
		2017-18 23-04-18 27-04-18		3	बरदू नर्सरी में विविध ऑडिट टिप्पणियां 2.पौधारोपण (लौहारू रेज) में अंतर - 10464 पौधे 3.नर्सरी द्वारा बिना सक्षम अधिकारी की अपरुवल के 14748 पौधों की खराब डिक्लेयर करना।		
			7(क)		रोकड़ बही एवं अन्य अनियमिततायें 3. ग्रीन इंडिया मिसन स्कीम में रूपये 5.64 लाख शेष होने पर भी किये गये कार्यों से संबंधित राशि रूपये 2.48 लाख का भुगतान न करना।	5.64 2.48	
		04/18 03/19 18/4/19 26/4/19		1	पौधारोपण एवं निर्माण कार्यों के लिए ठेकेदारों के टैंडर के रेट में अंतर- राशि रु. 3.75 लाख।	3.75	
			2 ग		अस्थाई जगह पर पड़े लॉग्ज का निपटान न करना- वॉल्यूम 933.682. ख. वृक्षों की कम कटाई करवाया जाना 9346.08 वॉल्यूम		
			3		कर्मचारियों के भुगतान EPF/ESI की कटौती- राशि रु. 70.47 लाख।	70.47	
			6		क्षति रिपोर्ट की राशि की वसूली न करना- रु. 9.68 लाख।	9.68	
			7 क		कर्मचारियों से बकाया वसूली राशि- रु. 58.91 लाख।	58.91	
			7 ख		नकारा अनुपयोगी वाहनों की कंडम्मनेशन/नीलामी न करवाना- रु. 3.92 लाख	3.92	
6	वन संरक्षक, पश्चिमी परिमण्डल, हिसार	1	2	2011-12 से 2016-17	1	गलत साईटों पर हरियाली क्षेत्र विकसित करने पर खर्च राशी	8.08

					-रुपये 8.08 लाख	
				2	निर्धारित मानदंड के अनुसार पौधारोपण न करने के बावजूद भी जांच व मूल्यांकन विभाग द्वारा जारी दिशा निर्देश अनुसार कार्यवाही न करना राशी -रुपये 5.67 लाख।	5.67
	Total	21	48			

2. Central Circle Rohtak of Forest Outstanding Para

Sr. No	Name of the Division	No. of IRS	No. of Paras	Year	Para No	Title of the Para Part-IIA/Part-IIBs	Amount (In lakh)
1	वन संरक्षक मध्य परिमण्डल रोहतक	1	3	4/15- 1/20 14.02.2 0 से 20.02.2 0	1क)	अनियमित खरीद से हानि ।	
					1ख)	पंप सेट की टुकड़ों में खरीद व सक्षम अधिकारी से स्वीकृति न लेना राशि रु. 0.60 लाख ।	0.60
					2क)	निर्धारित लक्ष्यों की प्राप्ति न करने से बजट का अवरोधन राशि सरेंडर करना ।	
					2ख)	CAMPA/FDA स्कीम के तहत निर्धारित लक्ष्यों की प्राप्ति न करना ।	
					2ग)	विभाग द्वारा निर्धारित लक्ष्यों की प्राप्ति न करना ।	
					3क)	जीप की नीलामी न करना ।	
					3ख)	कर्मचारियों को दिए गए गेहूँ अग्रिम का उपयोगिता प्रमाण पत्र न लेना राशि ।	
					3ग)	रोकड बही की अनियमितताएं । 1) रोकड बही में कटिंग/ओवरराईटिंग 2) ट्रेजरी शैड्यूल का रोकड बही में दर्ज राशियों से मिलान न करना ।	
					1	Non realization of damage reports	1.16
2	वन मंडल अधिकारी (क्षेत्रीय) रोहतक	2	7	2014-15	5	फार्म—16 में कम पाये गये सामान की अधिकारियों / कर्मचारियों से वसूली न करना— राशि 4.70 लाख रुपये	4.70
					1(क)	पौधारोपण में 2300 पौधों की संख्या का कम पाया जाना।	
				12/2016 05/2018 11/6/18 से 15/6/18	1(ख)	पौधारोपण में ओवर लैंपिंग के कारण नुकसान।	
					2(क)	स्कीम के अनुसार पौधारोपण न करना।	
					2(ख)	पौधारोपण की कम सफलता प्राप्त होना।	
					2(ग)	अस्थाई जगहों पर पड़े लॉग्ज का निपटान न करना - (3073.0041 वाल्यूम)	

				3	कर्मचारियों से बकाया वसूली - रुपये 24.14 लाख	24.14	
				4(क)	भारत सरकार पर्यावरण एवं वन मंत्रालय की स्वीकृति बिना वन भूमि का डाई वर्जन करना क्षेत्रफल 23.15104 है. कुल कीमत 326.07 लाख रु।	326.07	
				5	रोकड़ बही की अनियमितताएँ - 6. आरा मिलों से लाईसेंस रिन्यू फीस की वसूली न करना रु 1.50 लाख 7. भुगतान के बावजूद सामग्री प्राप्त ना करना रु 4.30 लाख।	1.50 4.30	
3	वन मंडल अधिकारी (क्षेत्रीय) करनाल	3	6	2011-13	1	इम्युवमेट्र ट्रस्ट करनाल द्वारा वन संरक्षण अधिनियम, 1980 के अन्तर्गत बिना भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय की स्वीकृति प्राप्त किये आरक्षित वन भूमि का प्रयोग 12.8375 है	
				2014-15	7	कर्मचारियों/ठेकेदारों से वसूली योग्य राशि	52.84
				2015-17	1	पौधारोपण की कम सफलता की वजह से वसूल ने योग्य राशि रु 27.37 लाख	27.37
					3	महत्वपूर्ण अभिलेखों के रख-रखाव में कमियाँ	
					4	कार्यों के कार्यन्वयन पर अधिक भुगतान रु 36,184/-	0.36
					5	बिना तत्काल आवश्यकता के सामान खरीदने के कारण वित्तीय हानी- रु 0.38 लाख	0.38
4	वन मंडल अधिकारी (क्षेत्रीय) पानीपत	5	12	2002-03	5	श्री रामेश्वर दास पुत्र देवतिया को बैंक वेजिज की राशि 81330 रु की स्वीकृति बारे	0.81
				2012-13	8	नकारा स्टोर वस्तुएँ/आईटम्स रु 1.32 लाख	1.32
				2013-14	1	भारत सरकार पर्यावरण एवं वन मंत्रालय की स्वीकृति के बिना प्रतिपूर्ति पौधारोपण सलिंग में बदलाव भूमि 74.11MKRतथा 18.8156 है	
					5a	टिम्बर फार्म 7 में पड़ी लकड़ी का समायोजन न करना रु 1.67 लाख	1.67
				2014-15	1	ट्री गार्ड की खरीद पर रु 2.42 लाख का अधिक भुगतान	2.42
					2	Payment of back wages Rs. 3.00 lakh	3.00

				4	स्टोर सामग्रियों का कम पाया जाना		
			4/2015 से 07/2018 13.08.20 18 से 17.08.20 18	1	271 लॉग्स एवं 4122 पेड़ों (कुल 1339.367 वाल्यूम/क्यूम का निपटान न करना एवं पानीपत रेंज की बीट्स में 1178 पेड़ों/वाल्यूम 333.22 क्यूम का कम पाया जाना।		
				4(क)	अदालती एवं फोरेस्ट ऐक्ट की अवहेलना के लंबित मामलों का निपटारा न करना		
				4(ख)	कार्यों का विलेज फोरेस्ट कमेटी द्वारा करवाना राशि- रूपये 2.53 लाख	2.53	
				5(ख)	कैम्पा स्कीम में जारी फण्ड का वित्तीय वर्ष में उपयोग न करना राशि - रूपये 41.80 लाख	41.80	
				6(क)	रोकड़ बही एवं अन्य अनियमिततायें 1. कर्मचारियों से रिकवरी शेष राशि 7.04 लाख 2. 09 कर्मचारियों की स्वीकृत पदों से अधिक तैनाती। 4. सरकारी राजस्व को समय पर खजाने में जमा न करवाना राशि 8.28 लाख रूपये। 5. एफ.डी.ए. स्कीम के तहत खाते का खोला पाया जाना राशि 2.73 लाख 16. कम्पनसेटरी अफॉरस्टेशन से संबंधित रिकार्ड सही न बनाना	7.04 4.90 8.28 2.73	
				6(ख)	अनुपयोगी मटों/वाहनों को निलाम न करने से सरकार को राजस्व की हानि राशि रूपये 2.02 लाख	2.02	
				Part-iv	1	डेमेज रिपोर्ट से संबंधित राशि को सरकारी खजाने में देरी से जमा करवाना रूपये 0.57 लाख रूपये	0.57
5	वन मंडल अधिकारी (क्षेत्रीय) सोनीपत	3	6	2010-11	5क	ठेकेदारों के विरुद्ध बकाया वसूली	3.43
				2014-15	1	वसूलनीय राशि रु 939631/- लाख रूपये	9.40
				2015-16	1	अस्थाई जगहों पर पड़े (23.48 घन फुट) लकड़ियों का निपटान ना करना	
					3	कर्मचारियों से बकाया वसूली-रूपये 85.91 लाख	85.91
				8a		रोकड़ बही की अनियमितताये 6- रोकड़ बही में	

						दिनांक की प्रविश्टि ना करना	
						2. खजाना तालिका (ई०पी०एस०) तथा कोषालय से आहरण का रोकड़ बही से मिलान न करना:	
						3. खजाना में जमा चालान लेखा के साथ प्रस्तुत न करना	
						4. सी०टी०आर० का मण्डल स्तर पर खजाना में जमा राशी से मिलान न करना	
						8रोकड़ बही का ना लिखा जाना	
				8b		सीधीपना के व्यय की रोकड़ बही ना बनाना	
			Part-IV	1		जुर्माने की राशि वसूल ना करना रु 0.10 लाख	0.10
6	वन मंडल अधिकारी (क्षेत्रीय) झज्जर	4	8	2012-13	4	Non recovery of amount from self help groups Rs. 6.80 lakh	6.80
				2014-15	1	नर्सरी के टी.पी. पौधों की नष्ट होने के कारण विभाग को नुकसान 1.40 लाख रु तथा वृक्षों की अवैध कटाई	1.40
					3	क्षति रिपोर्ट की राशि की वसूली न करना	5.46
				2015-16	1	पौधारोपण की न्यूनतम सफलता से होने वाली वित्तीय हानि की वसूली 14.02 लाख रुपये	14.02
					2(क)	1625 लॉग्स एवं 426 पेड़ों (कुल 536.312 वाल्यूम / क्युम) का निपटान एवं बहादुरगढ़ रेंज का टिम्बर से सम्बंधित पूर्ण रिकार्ड जांच हेतु प्रस्तुत न करना।	
					4(क)	अदालती एवं फोरेस्ट ऐक्ट की अवेहलना के लंबित मामलों का निपटारा न करना—28।	
				04/2016 07/2018 20/8/18 24/8/18	4(ख)	डैमेज रिपोर्ट से सम्बंधित बकाया राशि की वसूली न करना राशि—रुपये 1.50 लाख एवं मण्डल तथा रेंजों के रिकार्ड का आपस में मिलान न करना।	1.50
					5(ख)	स्टेट एफ०डी०ए० स्कीम से सम्बंधित बैंक खाते का अनियमित खोला जाना/बैंक खाते को बंद न करवाने कारण सरकारी निधि का अवरोधन राशि—रुपये 13.92 लाख।	13.92
					6(क)	रोकड़ बही एवं अन्य अनियमिततायें: 2 अनुपयोगी वाहन को निलाम न	2.45

					करवाना राशि –रूपये 2.45 लाख। 3 अधिकारियों/कर्मचारियों से बकाया रिकवरी राशि—रूपये 2.71 लाख।	2.71
		6(ख)		बकाया वैजिज की अदायगी राशि—रूपये 34.56 लाख।	34.56	
Total	18	42				

3. South Circle of Forest Outstanding Para

Sr. No	Name of the Division	No. of Irs	No. of Paras	Year	Para No	Title of the Para Part-IIA/Part-IIBs	Amount (In lakh)
1	मुख्य वन संरक्षक (सुरक्षा-2) गुडगांव	3	3	1995-97	2	Non adjustment of advance Rs. 1.20300	1.20
				1999-2000	1	वाहनों की अग्रिम राशि का अनियमित	
				2001-03	1	दोषी कर्मचारी अधिकारी से बकाया राशि वसूल न करना रु 1.08 लाख	1.08
2	वन संरक्षक (दक्षिणी) परिमण्डल गुडगांव	0	0			-----	
3	वन मंडल अधिकारी (क्षेत्रीय) गुडगांव	5	17	2004-05	4	कम पाए गए पेड़ों की कीमत की वसूली न करना	0.36
				2014-15	5b	नकारा मशीन व टुल्स तथा स्टोर वस्तुओं के सामान की निलामी न करवाना राशि 1.56 लाख रुपये	1.56
				2015-16	1	बिना टेंडर के कार्य छोटे-छोटे ठेकेदारों को अलॉट करने पर अनियमित खर्च रु 176.30 लाख	176.30
					2b	पौधारोपण की कम सफलता एवं अन्य कारणों से विभाग को हुए नुकसान की क्षतिपूर्ति संबंधित स्टॉफ से न करना राशि 43.23 लाख रुपये	43.23
					4	अनियमित खरीद राशि 14.08 लाख रु	14.08
					5a	एग्रोफारेस्टरी क्लोनल तथा नॉन क्लोनल स्कीम के तहत अनियमित भुगतान रु 5.89 लाख तथा पौधों के न होने पर भी रख रखाव का अनियमित व्यय रु 12.28 लाख	12.28
					5b	फॉरेस्ट एक्ट 1927 के अंतर्गत अवहेलना के केसों का निपटान न करना	
					7	रोकड़ बही की अनियमितताएं 10 कैश बुक में मण्डल वन अधिकारी / रेज फॉरेस्ट उपमण्डल के हस्ताक्षर नहीं करवाये जा रहे हैं। 11 स्टोर मैटीरियल की कमी 12 अनियमित खर्च 7.90 लाख	7.90
				Part-IV	1	रायत्वी देरी से जमा करवाने पर ब्याज की रिकवरी न करना रु 16.50 लाख रु	16.50
				2016-17 17-1-18 to 02-02-18	1(ख)	वृक्षकवच के खरीद पर अनियमित व्यय राशि—रुपये 22.50 लाख एवं अधिक भुगतान राशि 1.50 लाखरु	22.50 1.50

				2(क)	पौधारोपण पर निश्फल व्यय राशि रूपये 12.82 लाख।	12.82
01/2018 12/2018 17.12.1 8से 28.12.1 8	2क 2ख 2ग 3क 3ख 3ग 4क 4ख 4ग 5क 5ख 5ग 5घ 6क	प्लाट्स को साईंट तक ले जाने हेतु अधिक भुगतान करना राशी रूपये 2.08 लाख। पौधारोपण की कम सफलता के कारण निष्फल व्यय राशि 80.18 (34.96 + 45.22 ¹) लाख रूपये पत्थर के टुकड़ों से बनाये गये दीवारों पर परिहार्य व्यय राशी रु. 6.75 लाख। वन क्षेत्र पर अवैध निर्माण व यूजर एजेंसी से क्षतिपूर्ति मुआवजा न लेना राशि 26.42 करोड़ रूपये वन्य भूमि के बदले प्राप्त गैर वन्य भूमि पर कब्ज़ा न करने के कारण कम क्षतिपूरक वनीकरण। वन भूमि को परिवर्तित करने पर कम क्षतिपूर्ति पौधारोपण करना कैम्पा फण्डस का दुरुपयोग एवं कैम्पा फण्डस द्वारा उपलब्ध करवाई गई गाझी से अनाधिकृत रूप से की गई यात्रा। चन्दन की लकड़ी के लॉग्स का निपटान न करना। रेजों के अंतर्गत पड़े 435 लॉग्स (कुल 51.09 क्युम) का निपटान न करना। स्कीम रीहेबलीटेसन ऑफ अरावली हिल्ज का कार्य विश्लेषण। 1 ड्रैन्चिज का न बनाना। 2स्कीम के तहत अन्य उद्देश्य हेतु फण्ड का उपलब्ध न करवाना। अवैध गतिविधियों के कारण वन सम्पत्ति को नुकसान। वन भूमि पर अतिक्रमण पेड़ों की अवैध कटाई प्रोटेक्शन वाचर की सेलरी पर अनियमित भुगतान - राशि 71.09	2.08 80.18 6.75 2642.00 2642.00 2642.00 2642.00 2642.00 2642.00 2642.00 2642.00 2642.00 2642.00 2642.00 2642.00 2642.00 2642.00 2642.00 2642.00 2642.00			

						लाख रुपये	
				6ख		स्वीकृत पदों से अधिक कर्मचारियों की नियुक्ति के कारण बेतन एवं भत्तों पर अनियमित अतिरिक्त व्यय-रूपये 58.55 लाख।	58.55
				6ग		ठेकेदारों एवं कर्मचारियों से बकाया वसूली-रूपये 40.13 लाख।	40.13
				8ख		कैम्पा स्कीम में जारी फण्ड का उपयोग न करना राशि-रूपये 49.91 लाख।	49.91
				भाग iv 1		सरकारी सम्पत्ति की विक्री से सम्बंधित राजस्व की वसूली न करना राशि-रूपये 0.32 लाख।	0.32
				2		अतिक्रमण एवं अवैध रूप से पेड़ों की कटाई से सम्बंधित डैमेज रिपोर्ट के टाइम बार्ड(Time Barred) होने के कारण राजस्व नुकसान – राशि 8.40 लाख रु	8.40
4	वन मंडल अधिकारी (क्षेत्रीय) रेवाड़ी	4	15	2013-14	6	सरकारी सामग्रियों की सुपुर्दग्गी न करना आतंरिक नियंत्रण का अभाव	
				2014-15	4a	पौधारोपण की कम सफलता के कारण विभाग को नुकसान राशि रु 7.36 लाख	7.36
					4b	ठेकेदारों के विरुद्ध बकाया राशि की वसूली न करना रु 1.46 लाख	1.46
				2015-17	1	गूगल प्रोजैक्ट पर निश्फल व्यय रु 40.59 लाख	40.59
					2	मनेठी नर्सरी की निरीक्षण रिपोर्ट पर वित्तिय हानि की वसूली न करना रु 4.87 लाख	4.87
					5	अलाट किये गये पौधारोपण के लक्ष्यों को प्राप्त न करना।	
					6	बैंक वेजिज का भुगतान राशि रु 0.71 लाख	0.71
					7	रोकड़ बही की अनियमिततायेः 6- खजाना तालिका (इं०पी०एस०) तथा कोषालय से आहरण का रोकड़ बही से मिलान न करना: 2. सी०टी०आर० का मण्डला स्तर पर खजाना में जमा राशि से मिलान न करना: 7 योगों की जॉच न करना: 8 रोकड़ बही में	

						कटिंग / ओवर राइटिंग को सत्यापित न करवाना	
			Part-IV	1		फोरेस्ट ऐक्ट की अवैलना के लंबित मासमालों का निपटारा न होना रु 2.48 लाख	2.48
			2019-20	1		एक घटक में अधिक खर्चा एवं फण्डस का डायवर्जन- राशि 59.36 लाख रुपये	59.36
				2क		वन्य भूमि के बदले में गैर वन्य भूमि का गलत चयन	
				2ख		वन्य भूमि के बदले में गैर वन्य भूमि की प्राप्ति न होना।	
				2ग		वन भूमि पर अतिक्रमण	
				3		पौधारोपण की कम सफलता के कारण निष्फल व्यय- राशि 25.08 लाख रुपये	25.08
				4		प्रोटेक्शन वाचर की सेलरी पर अनियमित भुगतान- राशि 30.36 लाख रुपये	30.36
				5ख		अनुपयोगी वाहनों/मशीनरी को नीलाम न करवाने से सरकार को राजस्व हानि राशि 5.60 लाख रुपये	5.60
				6क		पौधों की मैटेनेंस पर अधिक खर्च- राशि 41.44 लाख रुपये	41.44
				6ख		बचाया जा सकने वाला व्यय- राशि 28.22 लाख रुपये	28.22
				6ग		रेंजों के अंतर्गत पड़ लॉग्स का निपटान न करना एवं एच.एफ.डी.सी. से रॉयल्टी की प्राप्ति न होना।	
				6घ		अवैध गतिविधियों के कारण वन सम्पत्ति को नुकसान	
				7ख		फंडस का उपयोग न करना- राशि 18.25 लाख रुपये	18.25
				7ग		वन भूमि को परिवर्तित करने पर कम क्षतिपूर्ति पौधारोपण करना	
5	वन मंडल अधिकारी (क्षेत्रीय) महेंद्रगढ़	6	22	2011-12	6	राष्ट्रीय राजमार्ग एवं राज्य राजमार्ग पर अवैध अतिक्रमण 3. 8037 है0	
				2014-15	3	निधियों का डायवर्जन करना रु 63.81 लाख	63.81
				2015-17	5b	सीमेंट को उपयोग में न लाना राशि 422.18 रु	422.18

			7	निधियों का डाईवर्जन करना रु 1.87 87 लाख	1.87
2017-18	2	कम्पनसेटरी अफोरस्टेशन न करवाना राशि रु0 292.38 लाख	292.38		
			4	कर्मचारियों/ठेकेदारों से बकाया वसूली-रूपये 12.51 लाख	12.51
			6ग	अनुपयोगी वाहन तथा अन्य वस्तुओं को नीलाम न करने से सरकार को हानि राशि 18.41 लाख।	18.41
2018-19	1	पौधारोपण की कम सफलता के कारण निष्फल व्यय राशि 69.45 लाख	69.45		
			2	कर्मचारियों के भुगतान EPF/ESI की कटौती- राशि 15.27 लाख रूपये	15.27
	3	पौधारोपण एंव निर्माण कार्यों को कोटेशन पर करवाना- राशि 67.30 लाख रूपये	67.30		
			6	बन भूमि पर अतिक्रमण	
	7	प्रोटेक्शन वाचर की सैलरी पर अनियमित भुगतान- राशि 6.16 लाख रूपये	6.16		
			8	अवैध गतिविधियों के कारण वन्य सम्पत्ति को नुकसान	
	9	यूजर एजेंसी से क्षतिपूरक वनीकरण के 28.39 लाख रूपये न लेना	28.39		
			10	रिकार्ड के उचित रख-रखाव न होने के कारण प्राकृतिक संसाधनों का दोहन	

				11	गुरगल प्रोजैक्ट के कार्यान्वन से संबंधित खामियां		
				12	रोकड़बही की अनियमितताएँ 1 रोकड़बही में शुरू/प्रथम पृष्ठ पर प्रमाण पत्र अंकित व प्रत्येक पृष्ठ पर नम्बरिंग न करना 4 सी.टी.आर. का खजाना से सत्यापन न करवाना 6 वी.एफ.सी. को दिया गया अदेय वित्तिय लाभ राशि- 0.40 लाख रु	0.40	
			2/19- 01/20 05/2/20 14/2/20	1	वन्य भूमि के बदले में गैर वन्य भूमि की प्राप्ति ना होना।		
				2	पौधारोपण की कम सफलता।		
				3	कैम्पा स्कीम में जारी फण्ड का उपयोग ना करना राशि 135.99 लाख	135.99	
				4	क्षति रिपोर्ट की राशि की वसूली ना करना		
				5	रोकड़बही की अनियमितताएँ 1. योगों की जाँच न करना 2. रोकड़बही में कटिंग/ओवर राइटिंग को सत्यापित न करवाना 3. भुगतान करने बाद वातच्चरो को रद्द ना करना। 4. सरकारी हिदायतों के अनुसार व्यय न करना। 5. राजस्व प्राप्ति बुक प्रस्तुत न करना। 6. सरकारी धन का संभावित दुर्व्यविनियोजन रु 1.90 लाख 7. रेंजो के अंतर्गत पड़े लॉग्स (28.14cum) का निपटान न करना।	1.90	
6	वन मंडल अधिकारी (क्षेत्रीय) फरीदाबाद	3	7	2012-13	7	नकारा स्टोर वस्तुएं/आइटमें	3.12
				2015-16	4	वन संरक्षण अधिनियम 1980 की स्वीकृति लिए बिना भूमि का डाईवर्जन करना भूमि 205 है० व नेट वर्तमान वैल्यू भी प्राप्त न	1818.35

					करना राशि रु 1818.35 लाख	
		4/2016 से 6/2018 2.7.2018 से 6.7.2018	1	पर्यावरण न्यायालय से संबंधित पी.सी. केसों को समय पर तैयार न करने के कारण सरकार को राजस्व की हानि राशि - 91.60 लाख। Para transferred to section-B vide DAG order 12.11.18 Vide Es-II/wrs/forest/AP-29/18-19/221 Dt. 27/11/18	91.60	
			3(क)	सेक्सन 4 व 5 वन क्षेत्र में करवाये गये भू एवं जल संरक्षण कार्य पर किया गया व्यय राशि - रुपये 70.00 लाख।	70.00	
			3(ख)	सायल कन्जरवेशन के कार्य पर अनियमित व्यय 114.31 लाख।	114.31	
			4(ख)	स्कीम रीहेबलीटेसन ऑफ अरावली हिल्लज का कार्य विश्लेषण। 1ट्रैन्चिज का न बनाना तथा पौधारोपण न करना। 2 फण्ड का सरेंडर करना राशि - 30.82 लाख रुपये। 3 फण्ड का उपलब्ध न करवाना।	30.82	
			5(ख)	स्टेट फोरेस्ट डैवैन्पमेंट एजेंसी (एस.एफ.डी.ए.) स्कीम से संबंधित जारी राशि का उपयोग न करना - रुपये 9.36 लाख।	9.36	
			5(ग)	ग्रीन इंडिया मिसन स्कीम में फण्ड का उपयोग न करना राशि - रुपये 3.65 लाख।	3.65	
			6(क)	रोकड़ बही एंव अन्य अनियमिततायें :- 1. राजस्व प्राप्तियों को देरी से खजाने में जमा करवाना राशि - 0.16 लाख। 2. योगों की जांच न करना। 3. रोकड़ बही में कटिंग/ओवर राईटिंग को सत्यापित न करवाना। 4. वातचरों पर पेड़ एंव कैंसिल/रद्द की मोहर न लगाना। 5. खजाना तालिका (ई.पी.एस.) तथा कोषालय से आहरण का रोकड़ बही से मिलान न करना। 6. रसीद बुक को रिकार्ड न रखना।	0.16	
			6(ख)	बकाया वैजिज की अदायगी राशि - रुपये 31.79 लाख।	31.79	

					6(ग)	ठेकेदारों एवं कर्मचारियों से बकाया वसूली राशि - रूपये 3.65 लाख।	3.65
					6(घ)	Non-production of record/information	
7	वन मंडल अधिकारी (क्षेत्रीय) मेवात (नूहं)	4	15	2012-13	1	अरावली क्षेत्र में खनन के कारण माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेशों को उल्लंघन तथा पर्यावरण और सरकारी संपदा का नुकसान रु 23.72 लाख	23.72
					4a	पौधारोपण की कम सफलता से सरकार को नुकसान रु 8.59 लाख	8.59
				2014-15	5b	भारत सरकार वन एवं पर्यावरण मंत्रालय की स्वीकृति के बिना प्रतिपूर्ति पौधारोपण साईट्स में बदलाव भूमि 59.063 हैं	
					1	ट्री गार्ड की खरीद से राशि का अवरोधन रु 14.43 लाख	14.43
					5a	जांच एवं मूल्यांकन रिपोर्ट में पाई पौधा रोपड़ की कम सफलता पर राजस्व की हानि की वसूली ना करना रु 1.09 लाख	1.09
					5b	जांच एवं मूल्यांकन रिपोर्ट पर कार्यवाही ना करना	
					6	विविध अनियमितताएं	
				Part-IV	1	फोरेस्ट एक्ट की अवेहनना के लिए मामलों का निपटारा ना होना रु 25.05 लाख	25.05
					2/17 से 10/18 19/11/2 018 30/11/2 018	राशि को अन्य कार्यों पर अनियमित खर्च करने से स्कीमों का उद्देश्य/लक्ष्य प्राप्ति न होना - राशि 1.25 करोड़ रूपये	125.00
					2क	पी.डब्ल्यू.डी. कोड के प्रावधानों की अनुपालना न करने के कारण बचाया जा सकने वाला व्यय- राशि 6.27 करोड़ रूपये	627.00
					2ख	विभागीय भवनों की मुरम्मत न करवाना	
					3	प्रोटेक्शन वाचर की सैलरी पर अनियमित भुगतान- राशि रु 1.36 करोड़	136.00

				4क	अरावली हिल्स पर अवैध मार्झिनिंग	
				4ख	वन भूमि पर अतिक्रमण	
				5	<p>डैम्स के निर्माण से संबंधित खामियां</p> <p>1 कार्यों को टुकड़ों में बाँट कर करवाना</p> <p>6 तकनीकी कार्यों को कम अनुभवी स्टाफ से करवाना</p> <p>2 करवाये गए कार्य से अधिक भुगतान</p> <p>3 मंडल अधिकारियों द्वारा उचित निगरानी न करना</p> <p>4 एम.बी. बुक राशि व वास्तविक खर्च में अंतर</p>	
				6क	पौधारोपण की सफलता मानक अनुसार न होना	
				6ख	रेजों के अंतर्गत पड़े 1124 लॉग्स (कुल 159.15 क्युम) का निपटान न करना	
				8	अनुपयोगी वाहनों/मशीनरियों को निलाम न करवाने से सरकार को राजस्व की हानि राशि- रूपये 15.17 लाख	15.17
				9	<p>रोकड़बही एवं अन्य अनियमिततायें</p> <p>1 रोकड़बही में दिनांक की प्रविष्टि न करना</p> <p>2 रोकड़बही में कटिंग/ओवर राईटिंग को सत्यापित न करवाना</p> <p>6 खजाना तालिका (ई.पी.एस.) तथा कोषालय से आहरण का रोकड़बही से मिलान न करना</p> <p>4 रेजों से संबंधित नर्सरीज का रिकार्ड अपडेट न करना</p> <p>5 नर्सरी द्वारा बेचे गये पौधों की प्राप्ति रसीद प्रस्तुत न करना</p> <p>6 कैम्पा स्कीम की</p>	

						बैंक रिकन्सिलेशन स्टेटमैन्ट तैयार न करना 7 रोकड़ बहियों को नियमानुसार न बनाना	
8	वन मंडल अधिकारी (क्षेत्रीय) पलवल	3	7	2012-13	4	स्टोर सामग्रियों की सुपुर्दगी न करना आंतरिक नियन्त्रण का अभाव	
				2013-15	1	पौधारोपण के लिये अर्थ वर्क पर निष्फल व्यय	0.45
					5	खजाने में पारित किये गये बिलों का बैंक से राशि आहरण के बाद लुटा जाना राशि	12.14
				2015-16	1	अनुसूचित गांवों में पौधारोपण स्कीम पर अनियमित खर्च राशि 11.61 लाख	11.61
					2	अस्थाई जगहों पर पड़े लॉग्स निपटान न करना वाल्यूम 304.86 घन मी.	
					4a	रिविटलाईजेशन ऑफ इन्सटिट्यूट इन अरावली हिल्स प्लान स्कीम में अनियमित खर्च राशि 14.04 लाख	14.04
					7	रोकड़ बही की अनियमितताएं 1)फण्ड के प्रयोग न करना 10.39 लाख रु 2)स्वीकृत पदों से अधिक नियुक्ति के कारण वेतन एवं भत्तों का अनियमित भुगतान राशि 3.94 लाख रुपये 3)राजस्व प्राप्ति का कम प्राप्त होना 4)सेवा पुस्तिकाओं का संबंधित कर्मचारी / अधिकारी को न दिखाया जाना 5)योगों की जांच न करना 6) रोकड़ बही में कटिंग / ओवर राईटिंग को सत्यापित न करवाना	10.39 3.94
	Total	28	86				

4 Additional Principal Chief Conservator (Production)of Forest Outstanding Para

Sr. No	Name of the Division	No. of Irs	No. of Paras	Year	Para No	Title of the Para Part-IIA/Part-IIIBs	Amount (In lakh)
1	वन मंडल अधिकारी (उत्पादन), करनाल	3	7	1998-99 2014-15 Part-IV 04/15 से 03/2018 30.4.18 से 04.5.18	1g 1 1 2 3(क) 3(ख) 3(ग) 4(क) 4(ख) 5(क) 6 6 7 5(ख)	लकड़ी की कमी रु 29.47 लाख सरकारी खाते के बाहर निधियों की पार्किंग बैंक खातों का बद न करना रु 9.26 लाख सेल टैक्स की असैसमैन्ट न करवाना राशि - रूपये 2511.81 लाख आवंटित पेड़ों की कटाई कार्य पूरा न करना राशि - 650.99 लाख रूपये। ठेकेदारों/एजेन्सियों/कार्यालयों से बकाये की वसूली योग्य राशि - रूपये 360.61 लाख फार्म-11 वसूलनीय राशि में असाधारण अंतर राशि - 202.48 लाख रूपये। कर्मचारियों से वसूली योग्य राशि - रूपये 26.25 लाख स्वीकृत पदों से अधिक कर्मचारियों की नियुक्ति के कारण वेतन एवं भत्तों पर अनियमित अतिरिक्त व्यय रूपये 6.41 लाख। असमायोजित आक्समिक बिल 12/2016 एवं 09/2017 राशि- 1.75 लाख रूपये। रोकड़ बही एवं अन्य अनियमिततायें 13ऑडिट को राजस्व से संबंधित रिकार्ड प्रस्तुत न करना राशि - रूपये 39.49 लाख। 2 राजस्व को खजाने में जमा न करना राशि - रूपये 2570/- 3 योगों की जांच न करना। रोकड़ बही में कटिंग/ओवर राईटिंग को सत्यापित न करवाना। 5वाउचरों पर पेड एवं कैंसिल/रद्द की मोहर न लगाना खजाना तालिका (ई.पी.एस.) तथा कोषालय से आहरण का रोकड़ बही से मिलान न करना। 7 रसीद बुक फार्म-14 का रिकार्ड न रखना। स्टॉक एवं स्टोर के लेखे/रजिस्टर का (फार्म-16) भौतिक सत्यापन न करना।	29.47 9.26 2511.81 650.99 360.61 202.48 26.25 6.41 1.75 39.49 0.03 39.49 0.03
2	वन संरक्षक उत्पादन परिमंडल, करनाल	1	2	2010-17	1	वर्ष 2016-17 के दौरान वर्किंग प्लान के घनत्व से कम कटाई करना।	

					2	रोकड़ बही की अनियमितताएँ 1. कटिंग/ओवरराइटिंग करना व रोकड़ बही का योग पक्का न करना। 2. योग की जाँच न करना। 3. रोकडबही की प्रविष्टि को सत्यापित न करना।	
				Tan 1		कम्प्यूटर रजिस्टर को नियमानुसार तैयार न करना।	
				Tan 2		लोग बुक में अनियमितताएँ 1. माह के अंत में ABSTRACT न करना	
3	वन मंडल अधिकारी (उत्पादन), यमुनानगर	3	7	2005-06	2	दोबारा नीलामी के कारण राजस्व की हानि की वसूली न करना	1.46
				2011-13	5	रोकड़ बही की अनियमितताएँ (iv) रोकड़ बही में दिनांक व रसीद कर्म व पूर्व रूप से इंद्राच न करना (vi) कोषालय में जमा करवाई गई कुछ राशियों का कोषालय के जिस माह में इंद्राज दर्शाय नहीं पाय गया ।	
				2015-16	1	सेल डिपूओ से वन उपज का समय पर निपटान न करने के कारण राजस्व की हानि राशि—2.00 करोड़ रूपये।	200.00
					2	वृक्षों का समय पर कटाई न करने के कारण राजस्व की कम प्राप्ति राशि— 1.70 करोड़ रूपये	170.00
					3	ठेकेदारों/फर्मों से बकाया वसूली न करना राशि— 102.50 लाख रूपये। (Para transfer to Haryana Forest Development Corporation, Yamunanagar)	102.50
					4	आरा मिल के लाभ में निरंतर कमी। (Para transfer to Haryana Forest Development Corporation, Yamunanagar)	
					5	नकारा अनुपयोगी वाहन/मशीनरी की कण्डम/निलामी न करवाना राशि 4.53 लाख रूपये (Para transfer to Haryana Forest Development Corporation, Yamunanagar)	4.53
4	वन मंडल अधिकारी (उत्पादन), हिसार	4	7	1996-97	2	बाढ़ के कारण हुए नुकसान को बट्टे खाते में डालना	
				2003-04	1	Recovering loss to the Govt. due to regularization of Services by giving unauthorized undertaking of Rs. 7.41 lakh	7.41
				2005-07	1	विभिन्न वन रक्षकों के विरुद्ध लकड़ी की कमी	46.91

				2	ठेकेदारों से राशि प्राप्त न होना	7.98
2015-16				2	ठेकेदारों से वसूलनीय राशि रु 207.77 लाख	207.77
				3	ठेकेदारों से जुर्माना राशि की वसूली न करना राशि रु 0.29 लाख	0.29
				4	कर्मचारियों से बकाया वसूली रूप्ये 1.51 लाख	1.51
				3	लकड़ी की कमी की वसूली हेतु कर्मचारियों के विरुद्ध देय वसूली न करना राशि रु 3.68 लाख	3.68
5	वन मंडल अधिकारी (उत्पादन), कुरुक्षेत्र	1	1	2011-12		
6	मुख्य वन संरक्षक (उत्पादन) हरियाणा , पंचकुला	1	2	2009-10	2	
	Total	13	26			

5 Chief Conservator of Forest (CFP) Panchkula Outstanding Para

1	Chief Conservator of forest (CFP) Panchkula	1	2	2008-10	1	Extra payable amount of Rs. 31.70 Lakhs due to improper management of dams constructed under the community forest project	31.70
						2 Irregularities of cash book	
						(i) Not checking of total	
						(ii) Not maintain cutting and overwriting in cash book	
						(iii) Not totaling/ totaling with pencil in cash book	
						(iv) Not maintaining CTR register	
	Total	1	2				

6 Community Forestry (CF-CFP) Ambala Outstanding Para

Sr. No	Name of the Division			Year	Para No	Title of the Para Part-IIA/Part-IIBs	Amount (In lakh)
1	वन मण्डल अधिकारी (सी एफ पी) पानीपत	0	0			-----	
2	वन मंडल अधिकारी (सामुदायिक वानिकी परियोजना), अंबाला	1	4	2015-16	1	अलाट किये गये पौधारोपण के लक्ष्यों की प्राप्ति न करने के उपरांत भी पौधारोपण पर अधिक खर्च राशि 8.07 लाख रु0।	8.07
					2	पौधों की खरीद निर्धारित दर से ना करने के कारण अधिक खर्च राशि 4.91 लाख रु0	4.91
					4	काड़ा परियोजना के अंतर्गत आबंटित राशि का उपयोग ना करना राशि 1.00 लाख रु0।	1.00
					5	रोकड़ बही की अनियमितताएं – 1. योगों की जांच न करना 2. रोकड़ बही में कंटिंग / ओवर राइटिंग	

						को सत्यापित न करवाना 3. खजाना तालिका ई.पी. एस. तथा कोषालय से आहरण का रोकड़ बही से मिलान न करना 4. माह के अंत में प्रमाण पत्र ना दर्ज करना।	
3	वन मंडल अधिकारी (सामुदायिक वानिकी परियोजना), कुरुक्षेत्र	2	3	2013-14	3	बिक्री प्राप्ति की 30 प्रतिशत, राशि 57.60 लाख रु की अप्राप्ति के कारण दोबारा पौधारोपण में विफलता	57.60
					1	आबंटित लक्ष्य के अनुसार नरसरी में पोथा न उगाना राशि 35.00 लाख	35.00
				2014-17	4	रोकड़ बही की अनियमितताएं 1 योगो की जाँच न करना 2 रोकड़ बही में कटिंग/ओवरेटिंग को सत्यापित न करना 3 ट्रेज़री शैड्यूलों का रोकड़ बही में दर्ज राशियों से मिलान न करना 4 सर्विस बुक का अद्वत्तन सत्यापन न करना	
4	वन मंडल अधिकारी (सामुदायिक वानिकी परियोजना), हिसार	3	4	2001-02	1	दैनिक वेतन भोगी मजदूरों को मस्टर रोल्ज के आधर पर अनुचित ढग से नियुक्त करके 17.30 लाख रु अनुचित भुगतान	17.30
				2014-15	4	Non auction of condemned machinery Rs. 3.27 lakh	3.27
				2015-16	3	कर्मचारियों से बकाया वसूली-रूपये 20.99 लाख।	20.99
					4	रोकड़ बही की अनियमिततायें: 5.अनियमित भुगतान रु 0.84 लाख	0.84
5	वन मंडल अधिकारी (सामुदायिक वानिकी परियोजना), भिवानी	0	0	यह विभाग वन मंडल अधिकारी (क्षेत्रीय) भिवानी के साथ मर्ज हो गया है			
6	वन मंडल अधिकारी (सामुदायिक वानिकी परियोजना), रिवाड़ी	4	8	2002-03	6a	Excess payment of HRA Rs. 1.68 lakh	1.68
				2009-14	3	Non auction of condonmed	8.46

	(जाटूसाना)					stores/vehicles Rs. 8.46 lakh	
				2014-15	1	Minor works done in small parts Rs. 293.63 lakh	293.63
					3	Excess payment to agency Rs. 100100/- and non maintainance of record of plants purchasing Rs. 23.35 lakh	23.35
					4a	स्वीकृत पदों से अधिक कर्मचारियों की तैनाती के कारण भत्तों पर अनियमित व्यय रु 21.48 लाख	21.48
				2015-17	2	कैम्पा के शेष बची राशि को वापिस न करना 1451758/-	14.52
					3(क)	प्राप्त बजट /ग्रांट से अधिक खर्च राशि 1022438/-	10.22
					3(ख)	प्राप्त बजच/ग्रांट को खर्च न करना राशि 817248 रुपए	8.17
					4	रोकड़ बही की अनियमितताएं(1,2,3,4,5,6,7)	
7	वन मंडल अधिकारी (सामुदायिक वानिकी परियोजना), फरीदाबाद	2	5	2010-15	5	Irregularities of cash book 5	
				2015-16	1	पौधारोपण के लिए अयोग्य पौधों पर निरर्थक व्यय रु 5.73 लाख	5.73
					2	कार्यों को टुकड़ों में बांट कर करवाने के कारण अनियमित व्यय 67.95 लाख	67.95
					4	स्टोर का भौतिक सत्यापन न करना	
					5	रोकड़ बही की अनियमितताएं 1. रोकड़ बही में मशीने पेज न लगवाना 2. योगों की जांच न करना 3. रोकड़ बही में कटिंग /ओवर राईटिंग को सत्यापित न करवाना 4. ई.पी.एफ. तथा कोषालय से आहरण का रोकड़ बही से मिलान न करना	
		12	24				

7 APCCF, Wild Life Panchkula

1	Chief wild life warden Panchkula	1	1	2007-10	1	Loss of interest of Rs. 18.52 Lakhs due to keeping the money out of Govt. account	18.52
2	Deputy chief wild life warden Panchkula	2	3	2004-06 04/13-03/19 27.05.19 - 31.05.19	1 1AP 2	Non recovery from defaulter employees of payment of back wages समझौता जापन नियमों के विपरीत अनुदान राशि जारी करना- राशि रु. 1148.64 लाख । कण्डम स्टोर की नीलामी न करना राशि रु. 0.46 लाख ।	0.35 1148.64 0.46
3	Divisional wild life officer Rohtak	5	13	2004-06 2006-11 Part-IV 2011-14 Part-iv 2014-15 04/2015 02/2020	4 1 1 1 2 4 5 1 2	विडियाघरों/भवनों के निर्माण में निर्देशानुसार लम्बित अनुपालना ;2 points pending) Surrendering the amount received from the Govt. of India, due to non-utilization Recoverable amount from criminals Rs. 61500/- Delay in deposit of revenue receipt in treasury Detailed Bill of Boundary wall of Rohtak zoo Rs. 23.26 lakh Excess expenditure on establishment Rs. 27.33 lakh Non use of CAMPA funds of Rs. 4.29 lakh Irregular cities of cash book 1रोकड़ बही के शुरू/प्रथम पृष्ठ पर प्रमाण-पत्र व प्रत्येक पृष्ठ पर नम्बरिंग माह के अन्त में प्रमाण-पत्र अंकित न करना। ठेकेदार को समय पर निशानदेही नहीं देने के कारण कार्य का प्रारम्भ न होना।	
						72.15	

				3	एजेंसी/ठिकेदारों को अदेय वित्तिय लाभ रु 8.24 लाख।	8.24	
				4	फण्डस का प्रयोग न करना रु 192.75 लाख।	192.75	
				5	<p>रोकड़ बही से संबंधित एवं अन्य अनियमितताये।</p> <p>1 भुगतान करने के बाद वाउचरों को रद्द ना करना।</p> <p>2 योगों की जाँच ना करना :</p> <p>3 रोकड़ बही में कटिंग/ओवर राइटिंग को सत्यापित ना करना।</p> <p>6 राजस्व प्राप्ति बुक (रसीद क्रम न . 5401 से 5500 तक) तथा वाइल्ड लाइफ एक्ट 1972 बुक का गुम होना।</p> <p>6 राजस्व प्राप्तियों से सम्बंधित रिकार्ड का रखरखाव न करना।</p> <p>6 EPF/ESI अंशदान का भुगतान सुनिश्चित किये बिना विलों का भुगतान।</p>		
4	Divisional Wild Life Officer Gurgaon	3	4	2009-12 2012-13 04/2013 08/2017	3 3 1 2(क)	<p>स्वीकृत अनुमानों से अधिक खर्च 7.20 लाख</p> <p>जीप खरीद में स्वीकृत अनुमानों से अधिक खर्च राशि 0.54 लाख</p> <p>जलीय पर्यावरण तंत्र संरक्षण के रा ट्रीय योजना का क्रियान्वयन न करना</p> <p>कार्य को टुकड़ों में बांटकर स्वीकृति लेना राशि 59.58 लाख रुपये।</p>	7.20 0.54 0.58
5	कार्यालय मण्डलीय वन्य प्राणी अधिकारी हिसार	1	3	08/2009 से 03/2016	6 7 8	<p>निर्माण कार्यों के लिए दिशा निर्देशों का पानल न करना</p> <p>नकारा/अनुपयोगी वाहनों की निलामी न करवाना राशि 0.88 लाख रुपये</p> <p>अन्य अनियमितताये</p>	0.88
		12	24				

8 Other Training, Seed, P&E, ECO-Tourism of Forest Outstanding Paras

1	वन संरक्षक (अनुसंधान) परिमण्डल पिंजौर	1	3	04/2010 से 10/2017	1.	स्वीकृत पदों से अधिक कर्मचारियों की नियुक्ति के कारण वेतन एंव भत्तों पर अतिरिक्त व्यय राशि 12.67 लाख रुपये।	12.67			
2	वन मण्डल अधिकारी (प्रशिक्षण) सोहना				2.	निरीक्षण करने के बाद निरीक्षण रिपोर्ट न बनाना व निरीक्षण में पाई गई कमियों पर कार्यवाही करके उसकी अनुपालना रिपोर्ट न बनाना।				
					3.	रोकड़ बही की अनियमिततायें:- 1 रोकड़ बी के शुरू/प्रथम पृष्ठ पर प्रमाण-पत्र व प्रत्येक पृष्ठ पर नम्बरिंग माह के अन्त में प्रमाण-पत्र अंकित न करना। 2 योगों की जाँच न करना 3.रोकड़ बही में कटिंग/ओवर राइटिंग को सत्यापित न करवाना 4 भुगतान करने के बाद वाऊचरों को रद्द न करना				
					1	स्वीकृत पदों से अधिक अधिकारियों/कर्मचारियों की नियुक्ति के कारण वेतन एंव भत्तों पर अनियमित अतिरिक्त व्यय- रुपये 18.35 लाख।	18.35			
	1	4	04-2014 06-2018 09-07-18 13-07-18	3	सरकारी एल.ई.डी. टी.वी. की चोरी राशि- 0.25 लाख।	0.25				
				4	प्रशिक्षण संस्थान का अंडर यूटिलाईजेसन करना।					
				5(क)	रोकड़ बही की अनियमिततायें 1 रिफ्रेशर कोर्स से संबंधित बचत खाते में ब्याज राशि को सरकारी खजाने में जमा न करवाना - रुपये 0.21 लाख 2 अवधि 2015-16 में एक्चुअल में कम राशि का बुक करना - रुपये 2520/- 3 खजाना तालिका (ई.पी.एस.) तथा कोषालय से आहरण का रोकड़ बही से मिलान न करना। 6 योगों की जाँच न करना 6 रोकड़ बही में कटिंग/ओवर राइटिंग को सत्यापित न करवाना 6 भुगतान करने के बाद वाऊचरों को रद्द न करना 1 सी.टी.आर. का न बनाना एंव मिलान करना	0.21				
				5(ख)	स्टॉक एंव स्टोर का भौतिक सत्यापन न करना।					
				9	4. Shortage of material					
				4	भण्डार में वस्तुओं की कमी के कारण 2,19,178 रु की राशि वसली बारे	2.19				
3	वन मण्डल अधिकारी बीज पिंजौर	3	4	2005-06	9	4. Shortage of material				
				2009-10	4	भण्डार में वस्तुओं की कमी के कारण 2,19,178 रु की राशि वसली बारे	2.19			

				4/2010 से 10/2017	1	रिकार्ड का न बनाया जाना	
					3	निरीक्षण रिपोर्ट में पाई गई कमियों पर कार्यवाही ना करना व उसकी अनुपालना रिपोर्ट न बनाना।	
					टैन 1	नकारा/अनुपयोगी ड्रैक्टर की नीलामी न करवाना राशि 1.71 लाख	1.71
4	वन संरक्षक, प्रचार एवं शिक्षा, परिमण्डल पंचकुला (वन संरक्षक सामाजिक परिमण्डल अम्बाला)	2	4				
				2004-06	1	कर्मचारियों से वसूली योग्य राशि रूपये 9.65 लाख	9.65
					2	तदर्थ आधार पर नियुक्त सुरेन्द्र कुमार ड्रैक्टर ड्राईवर का सरकार के आदेशानुसार वेतन का पुनः निर्धारित न करना और अधिक दिये गये वेतन एवं भत्तों की वसूली न करना	4.82
				01/17-04/19 13.05.19 से 17.05.19	1	अनियमित रूप से फंड का डायवर्जन करना- रु. 30.00 लाख।	30.00
					2	नकारा अनुपयोगी वाहनों व सामान की नीलामी न करवाना- रु. 6.30 लाख।	6.30
5	वन मण्डल अधिकारी (ईको-टूरिज्म) पंचकुला	1	5	2011-12 to 2014-15	1	ईको मैगा प्रोजैक्ट का पूरा न होना राशि रु 400.00 लाख	400.00
					2	परियोजना प्रस्ताव राशि को परिवर्तित / डाइवर्जन करके अन्य परियोजना प्रस्ताव पर अनियमित व्यय राशि 124.00 लाख	124.00
					3	वन एवं पर्यावरण मंत्रालय से अनापति प्रमाण पत्र न लेना रु 66.88 लाख।	66.88
					6	सरकारी कैमरे के गुम होने से सरकारी संपत्ति की हानि रु 0.25 लाख	0.25
					7	Non verification of store	
6	वन संरक्षक सामुदायिक वानिकी परियोजना (जांच एवं मूल्यांकन, पंचकुला Now CF (M&E) करनाल	2	3	2001-03 12/2010 to 07/2017	1	विभाग द्वारा वसूली करने में विफल रहना	11.54
					1	लगाये गए पौधों की पूर्ण रूप से मोनिटरिंग नहीं करना।	
					2	रोकड़ बही की अनियमितताएँ(1,2,3,4,5)	
7	वन मण्डल (जांच एवं मूल्यांकन, सामुदायिक वानिकी परियोजना अम्बाला (Now DFO (M&E) करनाल)	1	1	2009-10			
					3	वाहनों का उपयोग न करना	
8	वन मण्डल अधिकारी M&E) हिसार	0	0				
9	वन संरक्षक (वर्क और प्लानिंग) परिमण्डल गुडगांव	1	2	2011-14	2	वन विभाग के मण्डलों के नियोजित कार्य उद्देश्यों व योजना को लागू करने में अप्रत्याशित देरी।	
					3	कार्य से संबंधित राशि ठेकेदार के खाते की बजाये कर्मचारी के निजी	4.44

						खाते में जमा करवाना रु 4.44 लाख	
10	वन मंडल अधिकारी अनुसंधान पिंजौर	3	3	2005-06	3	प्रशिणार्थियों से किताबें व लेखन सामग्री की कीमत वापिस न लेना रु 3.71 लाख+ रु 2.74 लाख	3.71 2.74
				2014-15	2	पैनल रेट की वसूली न करना।	38.48
				2015-17	1	नए अनुसंधान प्रोजेक्टों का स्वीकृत न किया जाने से वेतन एव भत्तो पर अनियमित व्यय 3.93 करोड़	393
11	अतिरिक्त मुख्य सचिव हरियाणा चंडीगढ़	1	3	2016-17	1	धन राशि का संदेहास्पद गबन व दुरुपयोग 5.36 करोड़	536
					2	फाइल ट्रैकिंग एव जाँच प्रणाली को पूरण रूप से लागू न करना	
					3	फाइलों के निपटन में अत्यधिक देरी	
	Total	16	32				

9 PCCF Haryana Panchkula

PCCF, Haryana, Panchkula	8	38	2011-12	2 (b)	Irregular expenditure on entry point activities of National Afforestation Programme	21.25
				2 (c)	Failure of plantation pointed out by National Afforestation Programme	3.86
				4	Less success of plantation	
			2013-14	1	Non utilization of fund due to slow progress of Green India Mission Rs. 94.28 lakh	94.28
				2	Non getting of Central assistance Rs. 209.52 lakh	209.52
				3	Decreasing forest area due to illegal felling	
				6	Irregularity of FDA in State in National Forestry Project	209.04
				8	Irregularity of wood based industries	
			2014-15	1	Loss of Grant Rs. 11.00 crore	1100.00
				2	Non getting of Second Installment of grant Rs. 23.00 crore and expenditure on unsanctioned works Rs. 152.80 lakh	2300.00 152.80
				7	Non monitoring and evaluation of plantation of CAMPA fund	
				8	Misc. irregularities	
			2015-16	4	Non use of funds Rs. 14.11 crore	1411
				6	Non payment of audit fees Rs. 0.80 lakh	0.80
			2016-17	1	बजट खाते में राशि रखने से ब्याज की हानि 109.10 लाख	109.10
				2	गाड़ी की खरीद हेतु अनियमित खर्च रूपये 13.50 लाख	13.50
				4	कैम्पा स्कीम के अन्तर्गत भौतिक लक्ष्यों का कम प्राप्त करना	
			2018-19 09.04.2018 to 20.4.2018	1	अधूरी स्कीम ग्रीन इंडिया मिशन पर नि फल व्यय राशि—262.72 लाख।	262.72
				2	स्टेट स्कीम की राशि सरेन्डर करना—₹ 25.84 करोड़।	2584
				3	वूड बेर्स्ड इन्डस्ट्रीज स्कीम के तहत समयावधि में उचित कार्यावाही न करने के कारण टारगेट पूरा न करना एवं धन का ठहराव राशि—रूपये 584.87 लाख।	584.87
				4(क)	कैम्पा स्कीम की राशि को बचत खाते में रखने से ब्याज के रूप में राजस्व की हानि—रूपये 114.28 लाख।	114.28
				4(ग)	कैम्पा स्कीम के अंतर्गत क्षेत्रीय कार्यालयों/वन मण्डल अधिकारियों/संस्थाओं को जारी राशि के उपयोगिता प्रमाण—पत्र प्राप्त राशि 485.40 लाख।	485.40
				5	स्टेट फोरेस्ट डेवेलपमेंट एजेंसी (एस०एफ०डी०ए०) स्कीम से सम्बंधित जारी राशि के उपयोगिता प्रमाण—पत्र प्रस्तुत	438.40

					न करना राशि—438.44 लाख रुपये एवं रुपये 618.89 लाख स्कीम से सम्बंधित कार्य के उपयोग हेतू जारी न करना।	618.89
			7		नकारा अनुपयोगी वाहनों की निलामी न करवाना—रुपये 11.06 लाख एवं वो वाहनों का कण्डमनेसन से सम्बंधित रिकार्ड प्रस्तुत न करना।	11.06
			8(क)		<p><u>रोकड़ बही एवं अन्य अनियमिततायेः</u></p> <p>1. <u>निर्माण कार्य/रिपेयर एवं मैटिनेंस से सम्बंधित व्यय का रिकार्ड ऑडिट को जांच हेतू प्रस्तुत न करना राशि—201.60 लाख रुपये।</u></p> <p>2. <u>कैम्पा रोकड़ बही में ट्रांसफर राशियों/प्राप्तियों एवं भुगतान का इंद्राज न करना राशि—2766.72 लाख रुपये:</u></p> <p>6 <u>रोकड़ बही में राजस्व प्राप्तियों का इंद्राज न करना राशि—2.22 लाख रुपये:</u></p> <p>6 <u>रोकड़ बही के निर्धारित कॉलमों को सही न भरना।</u></p> <p><u>13सी0टी0आर0 का न बनाना एवं खजाना से मिलान करना।</u></p>	201.60 2766.62 2.22
			8(ग)		<p>नॉन प्रोडक्सन ऑफ रिकार्ड।</p> <p>(क)हरियाणा में वन आवरण सबसे कम प्रतिशत, घटते वन क्षेत्र के लिये जिम्मेदार एवं अरावली पर्वतमाला में पेड़ कटाई।</p> <p>(ख)Supply of information regarding complaints.</p> <p>(ग)Entrustment of Audit of CAMPA u/s 20(1) of the CAG's DPC Act.</p> <p>(घ)Supply of information regarding complaints.</p> <p>(ड) Supply of information regarding complaints.</p> <p>(च) रिकार्ड जांच हेतू ऑडिट को प्रस्तुत न करना।</p> <p>(छ)रिकार्ड जांच हेतू ऑडिट को प्रस्तुत न करना।</p>	
			9		Irregular drawal of HAG+Pay Scale/Level-16 of pay metrix to the IFS Officers	
			10		Excess credit of Earned Leave to IFS Officers	
			11		Irregular Opreation of Ex-Cadre Post	
			12		Irregular Appointment of IFS Officer in Selection Grage & above	
		2019-20 18.04.19 – 10.05.19	1		कम ब्याज दर पर एफ.डी.आर. के आकार में रसीदें जमा करने के कारण ब्याज की हानि- रु. 93.35 लाख।	93.35
			2(क)		कैम्पा स्कीम के अंतर्गत विश्व हर्बल पार्क पर अनियमित खर्च राशि रु. 10.50 करोड़।	1050
			2(ख)		कैम्पा फण्ड का पूर्णतः उपयोग न करना- राशि 5643.06 लाख।	5643.06
			2(ग)		कैम्पा स्कीम के अंतर्गत क्षेत्रीय कार्यालयों/वन मण्डल अधिकारियों संस्थाओं को जारी राशि के उपयोगिता प्रमाण पत्र प्राप्त ना करना- राशि रु. 3101.79 लाख।	3101.79

			3	अतिरिक्त व्यय राशि रु. 46.94 लाख	46.94
			4क)	गाड़ियों की खरीद के अनियमितताएँ ।	
			4ख)	गाड़ियों एवं पालकी की गलत तैनाती के कारण अनियमित व्यय राशि रु. 77.78 लाख + गाड़ियों पर तेल एवं अन्य व्यय ।	77.78
			5	शर्तों का उल्लंघन करने के बावजूद लीज समझौते की समाप्त ना करके एजेंसी को अनुचित लाभ ।	
			6	रोकड बही की अनियमितताएँ । 1) योगों की जांच न करना । 2) खजाना तालिका (ई.पी.एस.) तथा कोषालय से आहरण का रोकड बही से मिलान न करना । 3) रोकड बही में माह के अंत में डैडीओ द्वारा सर्टिफिकेट न देना । 4) रोकड बही में कटिंग/ओवरराईटिंग को सत्यापित न करवाना एवं पैसिल से योग करना । 5) वाऊचरों पर पेड एवं कैसिल की मोहर न लगाना । 6) वाहनों की लॉग बुकों का सही ढंग से रख-रखाव न करना ।	
			7	रिकार्ड प्रस्तुत न करना ।	
		2020-21	1	पौधा रोपण पर निष्फल व्यय।	145.37
			2	उत्पाद कर के भुगतान हेतु निधियों का अनियमित जारी करना।	654.0
			3A	रु. 238.38 लाख को अनियमित रूप से बचत बैंक खाते में रखने के कारण ब्याज की हानि।	7.29
			3B	अवरुद्ध धन राशि पर ब्याज की हानि।	81.12
			3C	सरकारी धन का अवरोधन	782.90
			4	कण्डम स्टोर की नीलामी न करना	1.72

© PRINCIPAL ACCOUNTANT GENERAL (A&E) HARYANA

2021

www.aghry.gov.in